माननीय न्यायमूर्ति एस.एस. सरोन और एस. पी. बनगढ़,, के समक्ष,

हरपरी सिंह सेखों-अपीलकर्ता

बनाम

राजवंत *कौर- प्रतिवादी*

एफएओ नंबर 5742 OF20I0

फ़रवरी 22, 2013

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - धारा । 13, 14 – हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 – तलाक अधिनियम, 1869 – धारा। 2 - कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 - धाराएँ 7, 14, 16 - तलाक अधिनियम, 1869 - धारा। 2 - पति ने कुक काउंटी, यूएसए के सर्किट कोर्ट द्वारा पारित दिनांक 23.05.2005 को तलाक की डिक्री प्राप्त की - पत्नी ने उक्त तलाक डिक्री को अवैध आदि घोषित करने के लिए जिला न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, फरीदाबाद के समक्ष मुकदमा दायर किया - पति ने अपने पिता और सीपीए के माध्यम से मुकदमा लड़ा - जिला न्यायाधीश ने तलाक की डिक्री को शून्य और शून्य घोषित किया - अपील दायर की गई-वह निर्णय कुक काउंटी की अदालत, इलिनोइस निर्णय के समर्थन में कोई कारण नहीं देता है जो वास्तव में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है और धारा 13 सीपीसी के खंड (बी) और (डी) द्वारा परिकल्पित अपवादों के भीतर आएगा - विवाह का अपरिवर्तनीय टूटना विवाह के विघटन के लिए हिंदू विवाह अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त आधारों में से एक नहीं है- हिंदू के तहत अनुपलब्ध आधार पर विदेशी अदालत द्वारा पारित तलाक की डिक्री विवाह अधिनियम अस्थिर - इसके अलावा निर्णय एक पक्षीय निर्णय था और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने में विफल रहा - अपील खारिज कर दी गई।

माना जाता है कि उपरोक्त के अवलोकन से पता चलता है कि एक विदेशी निर्णय किसी भी मामले के बारे में निर्णायक है, जिससे सीधे एक ही पक्ष के बीच या पार्टियों के बीच निर्णय लिया जाता है, जिनके तहत वे या उनमें से कोई भी एक ही शीर्षक के तहत मुकदमा करने का दावा करता है, सिवाय छह परिस्थितियों को छोड़कर जैसा कि खंड (ए) से (एफ) में बताया गया है; इसके अलावा, विदेशी निर्णयों के रूप में एक अनुमान है। इसलिए, यह पता लगाया जाना चाहिए कि क्या वर्तमान मामला सीपीसी की धारा 13 के अपवाद के भीतर आता है। यह देखा जा सकता है कि मामले की योग्यता को कुक काउंटी, लिलिनियोस के न्यायालय के निर्णय (Ex.1'7) में विज्ञापित नहीं

किया गया है और न ही पारित किए गए निर्णय के समर्थन में कोई कारण दिया गया है, जो वास्तव में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है और धारा 13 सीपीसी के खंड (बी) और (डी) द्वारा परिकल्पित अपवादों के भीतर आएगा। एक आदेश के समर्थन में कारणों की रिकॉर्डिंग प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का एक स्वीकृत पहलू है। कुक काउंटी के सर्किट कोर्ट का निर्णय (Ex.P7)। इलिनोइस, जैसा कि ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, वास्तव में मामले की खूबियों से निपटता नहीं है और अपने फैसले के समर्थन में कोई कारण दर्ज नहीं करता है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है। सीपीसी की धारा 13 के खंड (सी) के संदर्भ में, एक विदेशी निर्णय के अपवाद के निर्णायक होने के नाते, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रदान करता है कि उन मामलों में भारत के कानून को मान्यता देने से इनकार करना जिनमें ऐसा कानून लागू होता है; इसके अलावा, खंड (I) में यह प्रावधान है कि विदेशी निर्णय निर्णायक नहीं है जहां यह भारत में लागू किसी भी कानून के उल्लंघन पर स्थापित दावे को बनाए रखता है।

(पैरा 19)

आगे आयोजित किया गया, कि वादी प्रतिवादी ने कुक काउंटी, इलिनोइस के सर्किट कोर्ट में उपस्थिति नहीं रखी थी। दिनांक 23.05.2005 (Ex.P7) के फैसले में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है कि क्या उसने उपस्थिति दर्ज कराई थी। वह यह नहीं कहता कि वह दिखने में थी या वह चूक में पाई गई थी। वास्तव में दोनों चाप का उल्लेख किया गया है। इलिनोइस के कुक काउंटी के सर्किट कोर्ट में जो दस्तावेज थे, वे यह नहीं दिखाते हैं कि उसने अपना जवाब दायर किया था। वास्तव में उन्हें याचिका की प्रति नहीं मिली थी, जिसकी वह मांग कर रही थीं। याचिका की प्रति के अभाव में वह एक प्रभावी प्रतियोगिता नहीं बना सकती थी। इसलिए, सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, कुक काउंटी के सर्किट कोर्ट के दिनांक 23.05.2005 (पूर्व पी 7) का निर्णय। इलिनोइस एक पूर्व पक्षीय निर्णय था/है; इसके अलावा, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने में विफल रहा।

(पैरा 24)

आगे आयोजित किया गया, कि सेंट लुइस देश का सर्किट कोर्ट। इसलिए, मिसौरी के पास अधिनियम के अनुसार याचिका पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, जिसके तहत पार्टियों का विवाह हुआ था। दूसरे, विवाह का असुधार्य टूटना विवाह के विघटन के लिए अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त आधारों में से एक नहीं है। इसलिए, विदेशी अदालत द्वारा पारित तलाक की डिक्री हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अनुपलब्ध आधार पर थी।

धारा 13 सीपीसी का संदर्भ दिया गया था, जिसमें कहा गया है कि एक विदेशी निर्णय किसी भी मामले के रूप में निर्णायक नहीं है, जिससे पार्टियों के बीच सीधे निर्णय लिया जाता है यदि (ए) यह सक्षम न्यायालय की अदालत द्वारा सुनाया नहीं गया है; (ख) यह सुविधा के गुण-दोष के आधार पर नहीं दिया गया है; (ग) यह अंतरराष्ट्रीय कानून के गलत दृष्टिकोण या उन मामलों में भारत के कानून को मान्यता देने से इनकार करने पर स्थापित किया गया है जिनमें ऐसा कानून लागू होता है; (d) कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के विरोध में है, (c) यह धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया है, (f) यह भारत में लागू किसी भी कानून के उल्लंघन पर स्थापित दावे को बनाए रखता है। उक्त मामले में डिक्री, विदेशी अदालत द्वारा पारित विवाह को भंग करना, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार अधिकार क्षेत्र के बिना था क्योंकि न तो विवाह मनाया गया था और न ही पक्ष अंतिम बार एक साथ रहते थे और न ही प्रतिवादी उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रहता था। यह डिक्री भी एक आधार पर पारित की गई थी जो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत उपलब्ध नहीं थी जो विवाह पर लागू था।

(पैरा 26)

आगे कहा गया, कि पक्ष स्वीकार्य रूप से सिख हैं और विवाह के मामलों में हिंदू कानून द्वारा शासित हैं। यहां तक कि सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ता के लिए श्री दिल राज सिंह सेखों जीपीए ने स्वीकार किया कि पक्ष सिख धर्म को मानते हैं। तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 2 अधिनियम की सीमा से संबंधित है और आम तौर पर राहत देने की शक्ति की सीमा के संबंध में, यह प्रदान किया गया है कि इसके बाद निहित कुछ भी किसी भी न्यायालय को उक्त अधिनियम के तहत कोई राहत देने के लिए अधिकृत नहीं करेगा, सिवाय इसके कि याचिकाकर्ता या प्रतिवादी ईसाई धर्म को मानता है। दोनों में से कोई भी पक्ष ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए, उक्त तर्क बिल्कुल असमर्थनीय और गलत है। तलाक अधिनियम, 1869 के प्रावधान वर्तमान मामले में दूर-दूर तक लागू नहीं होते हैं।

(पैरा 35)

सुरजीत सिंह, विद्वान अधिवक्ता इश्रृत कौर के साथ, अपीलकर्ता के वकील और दीई इराज सिंह स्कोखन, व्यक्तिगत रूप से अपीलकर्ता के 11 बड़े जीपीए।

मनीष जैन, अधिवक्ता, श्री अमन सिंगला, अधिवक्ता और श्री ताजिंदकर सिंह, प्रतिवादी-राज वांट कौर के साथ प्रतिवादी-राज वांट कौर के वकील।

एस.एस.सरोन, जे.

(एक)अपीलकर्ता हरपेक्ट सिंह सेखों ने अपने पिता और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दिलराज सिंह सेखों के माध्यम से विद्वान जिला न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, फरीदाबाद द्वारा पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 25.08.2010 के खिलाफ यह अपील दायर की है, जिसके तहत

कुक काउंटी के सर्किट कोर्ट द्वारा पारित दिनांक 23.05.2005 के पूर्व-पक्षीय निर्णय को घोषित करने के लिए प्रतिवादी-पत्नी राजवंत कौर सेखों द्वारा दायर किया गया मुकदमा इलिनोइस, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए-संक्षेप में) को अवैध माना जाता है और उपरोक्त तलाक की डिक्री को शून्य और शून्य घोषित किया गया है और वादी-प्रतिवादी राज कौर सेखों के अधिकारों पर बाध्यकारी नहीं है।

(दो) वादी-प्रतिवादी श्रीमती राजवंत कौर सेखों और प्रतिवादी-अपीलकर्ता-हरप्रीत सिंह सेखों के बीच विवाह 09.02.2000 को आनंद कारज के माध्यम से संपन्न हुआ था। उसके माता-पिता, भाइयों और बहनों ने शादी पर लगभग 30,00,000 रुपये खर्च किए। दहेज की वस्तुओं पर खर्च और अंगूठी समारोह के खर्च सहित अन्य खर्चों की एक सूची संलग्न की गई है। प्रतिवादी-अपीलकर्ता अपने माता-पिता के साथ स्थायी रूप से अमेरिका में रह रहा था। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रीन कार्ड धारक हैं। प्रतिवादी-अपीलकर्ता के पिता दिलराज सिंह सेखों, केंद्रीय जांच ब्यूरो के पूर्व संयुक्त निदेशक, भारत में अपनी नौकरी छोड़ने के बाद स्थायी रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में बस गए। वह अमेरिका के शिकागो स्थित कोलंबिया कॉलेज में लेक्चरर के पद पर कार्यरत थे। हालांकि पिछले करीब तीन साल से वह पंजाब के मोहाली में अपने ही घर में रह रहे थे। वह लुधियाना (पंजाब) के गांव इस्सावल में 70 से अधिक 'किला' (एकड़) कृषि भूमि के मालिक हैं। वादी-प्रतिवादी मकान एन 0.645 सेक्टर-16, फरीदाबाद (हरियाणा) में रहता था। उक्त घर प्रतिवादी/अपीलकर्ता के पिता के स्वामित्व में है और संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति है। वादी-प्रतिवादी के अनुसार पक्षकारों की नाबालिग बेटी सिरुत (एसआईसी)। सेखों ने अपनी मां और अभिभावक राजवान कौर सेखों (वादी-प्रतिवादी) के माध्यम से अपने पिता हरप्रीत सिंह सेखों (प्रतिवादी/अपीलकर्ता), उसके दादा-दादी दिलराज सिंह सेखों और श्रीमती तेजिंदर कौर, उसके पिता के भाई सरबजीत सिंह सेखों और पैतृक चाची श्रीमती सतनाम कौर के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह दावा किया गया कि वह आवासीय मकान नंबर 645 सेक्टर -1 6 के बराबर हिस्से में कब्जे में सह-मालिक भी है। फरीदाबाद; इसके अलावा, संपत्ति के बराबर हिस्से में सह-मालिक

गांव इस्सावल जिला लुधियाना (पंजाब) और क्रिकेट स्टेडियम, मोहाली के पास आवासीय मकान नंबर 722 फेज-IX में सह-मालिक। "उक्त मुकदमा वर्तमान वाद दायर करने के समय सिविल जज (जूनियर डिवीजन), फरीदाबाद की अदालत में लंबित था, जिसमें से वर्तमान अपील उत्पन्न होती है। 24.02.2002 को, वादी/प्रतिवादी को दिलराज सिंह सेखों (वादी के ससुर), वादी के पति और उसकी सास के साथ-साथ परिवार के अन्य सदस्यों अर्थात् सैनम कौर और पिंकी औलख से एक टेलीफोन संदेश प्राप्त हुआ। आरोप है कि वे उसे अपर्याप्त दहेज लाने के लिए ताना मार रहे थे। वे उसे पीटकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 34 के साथ पठित धारा 498-ए और 406 के तहत अपराधों के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) इस संबंध में पुलिस स्टेशन सेंट्रल, फरीदाबाद में दर्ज की गई थी। शादी के बाद वादी और प्रतिवादी मोहाली, लुधियाना और गांव इस्सावल में रहते थे। प्रतिवादी-अपीलकर्ता तब वादी को फरीदाबाद में उसके पैतृक घर पर छोड़कर यूएसए चला गया। वहां 04.12.2000 को उनकी एक बेटी हुई। वादी के ससुराल वालों ने तीन दिनों तक खाना नहीं बनाया क्योंकि वे कन्या संतान नहीं चाहते थे। 30.12.2000 को, प्रतिवादी भारत वापस आया और वादी को अपने साथ मोहाली ले गया। यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी कई मौकों पर यूएसए से भारत आया था, हालांकि, वादी को यूएसए ले जाने का वादा करने के बावजूद, वह उसे कभी नहीं ले गया और हर बार वह कहता था कि वह अगली बार उसे ले जाएगा। 'इस तरह वादी को लगा कि उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसके बाद 23.05.2005 को, प्रतिवादी ने कुक काउंटी के सर्किट कोर्ट, इलिनियोस डिपार्टमेंट-डोमेस्टिक रिलेशंस डिवीजन से तलाक की डिक्री प्राप्त की। उक्त डिक्री के संदर्भ में यह आरोप लगाया गया है कि प्रतिवादी के पक्ष में एक पक्षीय और एक कपटपूर्ण तलाक डिक्री पारित की गई थी, उक्त तलाक डिक्री एक विदेशी निर्णय होने के नाते यह प्रार्थना की गई थी कि सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी-संक्षेप में) की धारा 13 के मद्देनजर और अन्य आधारों पर भी वैध डिक्री नहीं होने के कारण इसे अलग रखा जाए। यह प्रस्तुत किया गया था कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधान के तहत केवल जिला न्यायालय जिनके सामान्य नागरिक अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर (i) विवाह संपन्न हुआ था, या (ii) प्रतिवादी, याचिका की प्रस्तुति के समय, रहता है, या (iii) विवाह के पक्ष अंतिम बार एक साथ रहते थे, या (iv) याचिकाकर्ता याचिका की प्रस्तुति के समय रह रहा है, ऐसे मामले में जहां प्रतिवादी, उस समय, उन क्षेत्रों के बाहर रह रहा है, जहां यह अधिनियम विस्तारित है, या उन व्यक्तियों द्वारा सात साल या उससे अधिक की अवधि के लिए जीवित रहने के बारे में नहीं सुना गया है, जिन्होंने स्वाभाविक रूप से उसके बारे में सुना होगा यदि वह जीवित था तो उसके पास याचिका पर विचार करने और मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र होगा। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया था कि कुक काउंटी के सर्किट कोर्ट, इलिनोइस के पास याचिका पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, जिसके तहत पक्षकारों को स्वीकार्य रूप से नामित किया गया था, विवाह के विघटन के आधार के रूप में विवाह के असुधार्य टूटने को मान्यता नहीं दी गई थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रतिवादी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में तलाक की याचिका दायर करने के माध्यम से धोखाधड़ी और जाली आधार बनाए, जो उसके लिए

उपलब्ध नहीं थे; इसके अलावा, तलाक की याचिका दायर करने के समय प्रतिवादी द्वारा तलाक की याचिका में उल्लिखित कोई वैध आधार मौजूद नहीं था। दोनों पक्ष कभी भी अमेरिका में एक साथ नहीं रहे और वादी ने प्रतिवादी के साथ अमेरिका या भारत में रहने से कभी इनकार नहीं किया। 'प्रतिवादी भारत में वादी और उसकी बेटी को किसी भी प्रकार का रखरखाव प्रदान या यूएसए से नहीं भेजता है। प्रतिवादी और उसका परिवार फरीदाबाद में लंबित सभी अदालती मामलों में सेवाओं से बच रहे थे। वादी और उसकी नाबालिग बेटी पूरी तरह से अपने माता-पिता पर निर्भर थे। वादी ने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए एक याचिका भी दायर की थी।

(तीन) प्रतिवादी/अपीलकर्ता ने अपने पिता और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी (जीपीए) दीराज सिंह सेखों के माध्यम से लिखित बयान दायर किया। इस आशय की प्रारंभिक आपत्तियां उठाई गई थीं कि याचिका समय पर वर्जित थी। यह कहा गया है कि कुक काउंटी इलिनोइस की अदालत द्वारा तलाक का फैसला 23.05.2005 को पारित किया गया था और तलाक के फैसले को रद्द करने के लिए याचिका 15.04.2008 को दायर की गई थी। यह मामला फरीदाबाद अदालत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। शादी पंजाब के जालंधर में संपन्न हुई। वादी और प्रतिवादी एच.नं.722, फेज-9, मोहाली में पति-पत्नी के रूप में एक साथ रहते थे। वे फरीदाबाद के हाउस नंबर 645 सेक्टर-16 में कभी नहीं रहे। उक्त मकान में एक किराएदार रहता था। 'कुक काउंटी, इलिनिओस के सर्किट कोर्ट द्वारा दिया गया तलाक एक वैध तलाक था। उक्त न्यायालय से नोटिस प्राप्त होने पर, यह कहा गया है कि वादी ने अपने वकील के माध्यम से स्वेच्छा से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। अपनी उपस्थिति दर्ज करके, उसने उक्त न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत किया था। उसी पर जवाब दाखिल करके उसने कुक काउंटी, इलिनियोस के सर्किट कोर्ट में मामला लड़ा था। यह कहा गया है कि प्रतिवादी हरप्रीत सिंह सेखों भारत में तलाक की याचिका दायर नहीं कर सका क्योंकि वह भारत का मूल निवासी नहीं था। वह अमेरिका के स्थाई निवासी रह चुके हैं। एक संदर्भ था

डा डेविड चक्रवर्ती अरुणमेननायगन ***बनाम गीता चक्रवर्ती अरुणमेननायगन (आई),*** *(*मद्रास) के मामले में किए गए मामले में तलाक अधिनियम, 1869 के संदर्भ में, यह कहा गया है कि विवाह के पक्षकारों को भारत में अधिवासित होना चाहिए जो याचिका दायर करने के लिए तलाक अधिनियम की धारा 2 के तहत पूर्ववर्ती शर्त है। आगे यह कहा गया है कि दहेज लेखों पर व्यय से संबंधित सूची झूठी और निराधार थी। यह एक साधारण और दहेज रहित विवाह था। दहेज संबंधी सामान जैसे फर्नीचर, टीवी, रेफ्रिजरेटर और अन्य ऐसी वस्तुओं को अमेरिका ले जाने की आवश्यकता नहीं थी जहां अनिवासी भारतीय (एनआरआई) रहते हैं। 11.06.2002 को, वादी और उसके पिता सरवन सिंह निज्जर ने विवाह रजिस्ट्रार, जालंधर-I, पंजाब के साथ विवाह पंजीकृत करवाया, जब हरप्रीत सिंह सेखों प्रतिवादी यूएसए में रह रहा था। जालंधर के उपायुक्त और जालंधर की पंजाब पुलिस द्वारा विवाह के फर्जी पंजीकरण की जांच की जा रही थी। यह कहा गया है कि वादी मकान संख्या 645 सेक्टर- 16, फरीदाबाद में नहीं रहता है। उक्त मकान उसके भाई जगजीत सिंह के जबरन कब्जे में था, जिसने अपने रिश्तेदार की मदद से घर का ताला तोड़कर उसका कब्जा कर लिया था। दिनांक 06-07-2005 को केन्द्रीय पुलिस स्टेशन, फरीदाबाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 448 के अंतर्गत अपराध के लिए मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट सं 252 दर्ज किया गया था। वादी उक्त घर में कभी नहीं रहा था। वह अपने पैतृक घर यानी H.No.2382 Scctor-9, फरीदाबाद में रहती थी। जब भी जांच अधिकारी वहां जाता है तो वह उस घर में पहुंच जाती है। उक्त घर हरप्रीत सिंह सेखों की स्व-अर्जित संपत्ति है, जिन्होंने केंद्र सरकार से सेवानिवृत्ति के बाद इसमें रहने के लिए घर का निर्माण किया था। बेबी सिरुत (sic)। सीरात) सेखों नाबालिग यह कहा जाता है कि संपत्ति हड़पने के लिए वादी और उसके रिश्तेदार द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा था। किसी भी अदालत ने वादी को उसका अभिभावक घोषित नहीं किया था। हरप्रीत सिंह सेखों ने बेबी सिरुत (सीरत) सेखों की कस्टडी के लिए केस दर्ज कराया था। 30.11.2005 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, फरीदाबाद ने निचली अदालत द्वारा दिए गए स्थगन को हटा दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में अंतरिम रोक लगा दी थी। दिनांक 24-02-2002 को यह कहा गया है कि वादी के पति और उसकी सास को भारत में यूएसए से कोई टेलीफोन कॉल नहीं की गई थी क्योंकि उस अवधि के दौरान वे संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रही थीं। धारा 498-ए और 406 आईपीसी के तहत दहेज की झूठी शिकायत दर्ज की गई थी। आईपीसी की धारा 498-ए के तहत शिकायत तलाकशुदा के इशारे पर सुनवाई योग्य नहीं थी। इसके अलावा, एफआईआर में आईपीसी की धारा 34 को शामिल नहीं किया गया था जैसा कि वादी ने इस पैरा में आरोप लगाया था। पांच आरोपियों में से तीन

(1) 2002 (1) मैरिज लॉ जर्नल 354

पुलिस ने उन्हें निर्दोष पाया था। शेष दो अभियुक्तों के संबंध में, दुर्व्यवहार, शारीरिक उत्पीड़न और दहेज की मांग के आरोप उस अवधि से संबंधित हैं जब वे संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे थे। उक्त अवधि के दौरान वादी द्वारा अपनी सास को संयुक्त राज्य अमेरिका में एक पते पर लिखे गए पत्र एफआईआर में लगाए गए आरोपों के विपरीत हैं। दहेज संबंधी वस्तुएं उन अनिवासी भारतीयों को नहीं सौंपी जा सकती जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले अनिवासी भारतीय भारत में दहेज संबंधी वस्तुओं का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। आरोप है कि हरप्रीत सिंह सेखों के पिता ने वादी के प्रवेश की व्यवस्था अमेरिका के एक संस्थान में की थी, जहां

वह पढ़ा रहा था। उसने उसके लिए स्पॉन्सरशिप भी भेजी थी लेकिन उसे अमेरिकी दूतावास से वीजा नहीं मिला। हरप्रीत सिंह के भाई सेखों-प्रतिवादी ने भी कनाडा से वादी के लिए प्रायोजन भेजा था, लेकिन वादी साक्षात्कार के लिए कनाडाई दूतावास नहीं गया था। इसके बाद हरपरेक्ट सिंह सेखों ने वादी को संयुक्त राज्य अमेरिका में आव्रजन के लिए भरने के लिए आव्रजन फॉर्म भेजा था, जिसे उसने नहीं भरा था। इससे पता चला कि वादी अपने पति के साथ अमेरिका में नहीं रहना चाहती थी। जब प्रतिवादी भारत आया, तो उसे मानसिक क्रूरता के अधीन किया गया जो असहनीय था। उसने अथाह मानसिक पीड़ा और यातना दी थी। भारत में अपने छोटे प्रवास के दौरान, उसने अपने जीवन को दुखी कर दिया था और वे भारत में अलग और अलग रहते थे। आरोप है कि वह घर में खाना नहीं बनाती थी और एक होटल से खाना मंगवा रही थी। उसने कहा था कि उसने पांच सितारा होटलों से कम में भोजन नहीं किया था। आरोप है कि उसके पिता और मां अनपढ़ थे। उसके पिता फरीदाबाद में टेम्पो ड्राइवर के रूप में काम करते थे और शादी एक धोखाधड़ी थी। प्रतिवादी द्वारा आगे आरोप लगाया गया है कि वादी का चरित्र और वफादारी संदिग्ध पाई गई। अनजान लोग उससे मिलने आ रहे थे। उन लोगों को नहीं पता था कि उसका पति अमेरिका से आया है और घर के अंदर बैठा है। आरोपी को नहीं पता था कि उसकी पत्नी कार में कहां जा रही है। उसका कोई अता-पता नहीं था। उनकी पत्नी के रवैये और व्यवहार ने उनके प्रति पूर्ण अनादर दिखाया। उसने उसके खिलाफ गंदी और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। जब उसके पति ने उसकी अवांछनीय गतिविधियों के बारे में आपत्ति जताई थी, तो उसने उसे धमकी दी थी कि वह दहेज की शिकायत दर्ज करके उसे सलाखों के पीछे डाल देगी, जो उसने बाद में वर्ष 2005 में किया था। कोई मनमौजी अनुकूलता नहीं थी। वह गर्म सिर और झगड़ालू थी। 11.09.2007 को, उसने जिला न्यायालय, फरीदाबाद में प्रतिवादी हरप्रीत सिंह सेखों के पिता के साथ दुर्व्यवहार किया था। इस पर प्रतिवादी के पिता ने एसएसपी, फरीदाबाद के पास एक लिखित शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें सुरक्षा की मांग की गई थी और उसे जिला न्यायालय, फरीदाबाद में रहने की अवधि के दौरान उसके पास नहीं आने से रोकने के लिए कहा गया था। वादी द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ दायर लगभग आधा दर्जन मामले जिला न्यायालय, फरीदाबाद में लंबित थे। दिनांक 23-05-2005 को यह कहा गया है कि कुक काउंटी के सकट कोर्ट ने वादी द्वारा अपने वकील के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और उक्त न्यायालय से नोटिस प्राप्त होने पर मामले को लड़ने के बाद पक्षकारों के बीच विवाह के विघटन की डिक्री पारित की थी। दोनों पक्षों की शादी हिंदू कानून के तहत हुई थी लेकिन उक्त कानून ने प्रतिवादी हरप्रीत सिंह सेखों को भारत में तलाक की याचिका दायर करने की अनुमति नहीं दी क्योंकि वह भारत का मूल निवासी नहीं था। वादी ने कहा था कि उसने उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत नहीं किया था, लेकिन अपनी प्रशंसा दर्ज करके उसने वास्तव में उक्त न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत किया था, 'कुक काउंटी का सर्किट कोर्ट सक्षम क्षेत्राधिकार का न्यायालय था। उक्त न्यायालय ने वादी द्वारा प्रस्तुत दावों के जवाब का अवलोकन किया था और निर्णय लिया था, इससे पुष्टि हुई कि न्यायालय का निर्णय पक्षों के बीच विवाद पर आधारित था। कुक

काउंटी के सर्किट कोर्ट द्वारा पारित विवाह के विघटन के निर्णय के अनुसार, फरीदाबाद में न्यायालय, यह प्रस्तुत किया गया है, स्पष्ट रूप से विवाह के विघटन के लिए उक्त निर्णय की सभी शर्तों को लागू करने के उद्देश्य से इस मामले के अधिकार क्षेत्र को बरकरार रखता है। प्रतिवादी हरप्रीत सिंह सेखों उस देश का मूल निवासी था। यह प्रस्तुत किया गया है कि मामले की योग्यता और क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्यों के संबंध में कोई धोखाधड़ी नहीं हुई थी। उक्त न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र था क्योंकि इस मामले में प्रतिवादी उस देश का अधिवास था। बेबी सिरुत की कस्टडी (एसआईसी)। कुक काउंटी के सर्किट कोर्ट द्वारा पारित फैसले में सेखों को आरक्षित किया गया था। वादी की आपत्ति कि तलाक की याचिका संयुक्त राज्य अमेरिका में सुनवाई योग्य नहीं थी, इस आधार पर खारिज कर दी गई थी कि याचिकाकर्ता (अब प्रतिवादी) ने उस न्यायालय द्वारा निर्धारित सभी शर्तों को पूरा किया था। बेबी सिरुत (sic)। यह प्रस्तुत किया गया है कि संपत्ति हड़पने के लिए वादी और उसके रिश्तेदारों द्वारा सेखों का दुरुपयोग किया जा रहा था। प्रतिवादी-हरप्रीत सिंह सेखों उसे अमेरिका ले जाना चाहता है ताकि वह वहां अपनी शिक्षा दे सके। जिला न्यायालयों, फरीदाबाद में प्रतिवादी के खिलाफ लगभग आधा दर्जन मामलों के अलावा, धारा 498-ए और 406 आईपीसी के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज करने वाले तलाकशुदा को वैवाहिक अधिकारों को बहाल नहीं किया जा सकता है। कुक काउंटी के सर्किट कोर्ट द्वारा पारित तलाक का फैसला, यह प्रस्तुत किया गया है कि यह एक वैध तलाक का निर्णय है और न्यायालय के पास विषय वस्तु पर अधिकार क्षेत्र था। पक्षकारों की दलीलों पर विद्वान सिविल जज (जूनियर डिवीजन) फरीदाबाद द्वारा 13.05.2009 को निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थे:-

एक. क्या वादी प्रार्थना के अनुसार घोषणा की डिक्री का हकदार है? ओपीडी

दो. क्या मुकदमा समय वर्जित है? ओपीडी

तीन. क्या न्यायालय के पास वर्तमान वाद पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है? ओपीडी।

चार. मदद।

उक्त मुद्दों को विद्वान सिविल जज (जूनियर डिवीजन), फरीदाबाद द्वारा 13.05.2009 को तैयार किए जाने के बाद, फैमिली कोर्ट की स्थापना पर मामला स्थानांतरित कर दिया गया और जिला न्यायाधीश, फरीदाबाद द्वारा 27.05.2009 को प्राप्त किया गया। दिनांक 04-11-2009 को विद्वान जिला न्यायाधीश, परिवार न्यायालय ने पाया कि उक्त कुटुम्ब न्यायालय के ध्यान में यह लाया गया था कि 13-05-2009 को निपटाए गए मुद्दे विशिष्ट नहीं थे। इसलिए, मुद्दों को फिर से तैयार करना समीचीन था। पक्षकारों ने उक्त तिथि अर्थात 04.11.2009 तक कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था। तदनुसार, निम्नलिखित मुद्दों

को पुन तैयार करके न्यायनिर्णयन के लिए निपटाया गया -

एक. क्या कुक काउंटी, इलिनोइस काउंटी विभाग-घरेलू संबंध प्रभाग के सर्किट कोर्ट ऑफ कुक काउंटी, इलिनोइस काउंटी डिपार्टमेंट-डोमेस्टिक रिलेशंस डिवीजन के 23.05.2005 के फैसले और डिक्री में हरप्रीत सिंह सेखों और राज कौर सेखों नामक मामले में 23 मई, 2005 को शादी को भंग करने के लिए रद्द किया जा सकता है, जैसा कि आरोप लगाया गया है? विरोधी।।

दो. क्या इस न्यायालय के पास इस मुकदमे की सुनवाई करने के लिए कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है, जैसा कि आरोप लगाया गया है? ओपीडी

तीन. क्या मुकदमा समय वर्जित है? ओपीडी

चार. क्या यह मुकदमा सिविल न्यायालय के समक्ष विचारणीय नहीं है? ओपीडी

पाँच. मदद।

(पाँच) कोई अन्य मुद्दा दबाया या दावा नहीं किया गया था।

(छः) विद्वान जिला न्यायाधीश ने रिकॉर्ड पर साक्ष्य और सामग्री पर विचार करने के बाद वादी-प्रतिवादी के मुकदमे को लागत के साथ डिक्री किया। कुक काउंटी, इलिनोइस, यूएसए के सर्किट कोर्ट द्वारा पारित दिनांक 30.05.2005 के तलाक की डिक्री को शून्य और शून्य घोषित किया गया था और वादी के अधिकारों पर बाध्यकारी नहीं था; इसके अलावा, वाद को सीमा के भीतर माना गया था और जहां तक फरीदाबाद में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का संबंध है, बहस के दौरान इस पर जोर नहीं दिया गया था। वादी ने 75000/- रुपये प्रतिमाह गुजारा भत्ता भी मांगा था। हालांकि, उक्त याचिका किसी भी प्रकार के साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं थी। तदनुसार, इसे अस्वीकार कर दिया गया था।

(सात) उक्त निर्णय और डिक्री से व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलकर्ता ने अपने पिता और अटॉर्नी दिलराज सिंह सेखों के माध्यम से वर्तमान अपील दायर की है। इस न्यायालय ने 04.10.2010 को अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी को भुगतान किए जाने वाले मुकदमेबाजी खर्च के लिए 70,000/- (अनंतिम) की राशि जमा करने के अधीन, देरी की माफी के संबंध में आवेदन पर प्रस्ताव की सूचना जारी की और मुख्य अपील में भी। सेवा पूरी हो गई थी। इसके बाद दिनांक 09.02.2011 को पक्षकारों के बीच समझौते की संभावना का पता लगाने के लिए मामले को 16.02.2011 तक स्थगित कर दिया गया। अपीलकर्ता के वकील (दिलराज सिंह सेखों) के अनुसार उक्त तारीख पर, समझौते की कोई संभावना नहीं थी। मामले को बहस के लिए 20.04.2011 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिनांक 27.04.2011 को पक्षकारों के वकील इस बात पर सहमत थे कि मामले में

समझौता करने के प्रयास किए जा रहे हैं और अनुरोध पर मामले को 06.05.2011 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिनांक 06.05.201 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:-

वर्तमान: श्री रॉबिन दत्त, अपीलकर्ता के वकील। श्री मनीष जैन, प्रतिवादी के वकील।

मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के प्रयास किए गए। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता उचित निपटान पर पहुंचने के लिए तैयार नहीं है। यह भी हमारे ध्यान में लाया गया है कि फरीदाबाद में अदालत ने प्रतिवादी-पत्नी को @ 30,000/- रुपये प्रति माह और बच्चे को 20,000 रुपये प्रति माह अंतरिम रखरखाव प्रदान किया। यह कहा गया है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद, जहां विवाद अपीलकर्ता के कहने पर लंबित है, रखरखाव की राशि

लगभग 11 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया गया है। जब तक उस राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, संभवत अपीलकर्ता द्वारा इस अपील पर जोर नहीं दिया जा सकता है।

इन परिस्थितियों में, हम अपीलकर्ता को निचली अदालत में सुनवाई की अगली तारीख से पहले दी गई मुआवजे की राशि जमा करने का निर्देश देते हैं, जहां घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत अपील लंबित है।

20.05.2011 तक स्थगित किया गया।

(आठ) हालांकि, अपीलकर्ता ने उक्त आदेश के संदर्भ में राशि जमा नहीं की। उन्होंने उपरोक्त आदेश दिनांक 06.05.2011 के संशोधन के लिए 2011 का सीएम नंबर 13227-सीआईआई दायर किया। यह प्रस्तुत किया गया था कि इस अदालत के समक्ष गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था कि अपीलकर्ता प्रतिवादी को रखरखाव के बकाया के रूप में 11 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। यह प्रस्तुत किया गया था कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, फरीदाबाद ने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत कार्यवाही में दिनांक 13.12.2010 के आदेश के तहत अपीलकर्ता को आवेदक नंबर 1 (राज वंत कौर) को 30,000 रुपये और आवेदक नंबर 2 (सीरात) को 20,000 रुपये का भुगतान आवेदन की तारीख से हर महीने की 10 तारीख से पहले करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा, प्रतिवादी नंबर 1 के नियोक्ता को भी उसी राशि को काटने और हर महीने की 10 तारीख से पहले आवेदक नंबर 1 (आवेदक नंबर 2 की ओर से भी) के खाते में जमा करने का निर्देश दिया गया था, इसलिए, अपीलकर्ता के अनुसार, यह स्पष्ट था कि वास्तव में रखरखाव का भुगतान 13.12.2010 से किया जाना था और दिनांक 13.12.2010 का निर्णय अपील के अधीन था और अपीलकर्ता ने पहले निर्णय के संचालन पर रोक लगाने के लिए आवेदन किया था अपीलीय न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि भरण-पोषण राशि के भुगतान के संबंध में अपीलीय न्यायालय द्वारा कोई आदेश नहीं दिया गया था और स्थगन मामला 26-05-2011 को अपीलीय न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए आना था। इसलिए, दिनांक 06.05.2011 के आदेश में उल्लिखित रखरखाव राशि का भुगतान करने के निर्देश को संशोधित करने की आवश्यकता थी। पीठ ने कहा, "मुख्यमंत्री पीठ के समक्ष आए जिसने 11 जुलाई 2011 को आदेश पारित किया था। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, फरीदाबाद द्वारा पारित दिनांक 13.12.2010 के आदेश के विरुद्ध अपील में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, फरीदाबाद द्वारा पारित दिनांक 03.06.2011 के आदेश की प्रति इस संबंध में दिखाई गई थी। इसके अवलोकन से पता चलता है कि विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, फरीदाबाद द्वारा पारित दिनांक 13.12.2010 के आदेश के खिलाफ आवेदक/अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील पर इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 06.05.2011 के पूर्वोक्त आदेश के कारण सुनवाई नहीं की जा रही थी। इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 06.05.2011 के आदेश में संशोधन के लिए आवेदन और 11.07.2011 को मुख्य अपील को भी 26.07.2011 तक स्थगित कर दिया गया। अपीलीय न्यायालय (अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,

फरीदाबाद) को निर्देश दिया गया था कि वह अपीलकर्ता द्वारा इस न्यायालय द्वारा दिनांक 06.05.2011 के अपने आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना निर्धारित तिथि पर दायर अपील पर निर्णय ले। दिनांक 26.07.2011 को न्यायालय के ध्यान में यह लाया गया कि कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण निचली अदालत द्वारा अपील की सुनवाई नियत तारीख पर नहीं की जा सकी। निचली अदालत को इस न्यायालय द्वारा 11.07.2011 को पारित आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया था और मामले को 09.08.2011 और फिर 17.08.2011 तक स्थगित कर दिया गया था। उक्त तिथि को इसे 26.08.2011 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिनांक 26.08.2011 को विद्वान विचारण न्यायालय से अभिलेख प्राप्त हुआ और मामले को बहस के लिए 16.09.2011 तक स्थगित कर दिया गया। दिनांक 14-10-2011 को 2011 के सीएम सं 13277-सी2 द्वारा दिनांक 06-05-2011 के आदेश के स्पष्टीकरण (एसआईसी-संशोधन) की मांग करते हुए यह पाया गया कि बाद में पारित आदेश के मद्देनजर निष्फल हो गया था। उपर्युक्त के मद्देनजर, इसे 07.11.2011 को रोस्टर के अनुसार एक बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया था, जिस तारीख को इसे 29.11.2011 तक स्थगित कर दिया गया था। 29.11.2011 को इस अदालत ने देखा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, फरीदाबाद की अदालत द्वारा पारित दिनांक 13.12.2010 के आदेश के खिलाफ अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील यानी घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फरीदाबाद की अदालत ने 08.08.2011 को खारिज कर दिया था और 30 रुपये तक अंतरिम रखरखाव के भुगतान के संबंध में आदेश, प्रतिवादी और उसकी नाबालिग बेटी को क्रमशः 000 रुपये और 20,000 रुपये प्रति माह की सजा सुनाई गई थी। हालांकि आपराधिक विविध। दिनांक 08.08.2011 के आदेश के विरुद्ध 2011 की सं एम-24964 दायर की गई थी लेकिन अंतरिम भरण-पोषण के भुगतान के संबंध में कोई स्थगन आदेश नहीं दिया गया था। दलीलों को संबोधित करने से पहले, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने अपीलकर्ता की निराश्रित पत्नी और बच्चे को उक्त राशि के भुगतान के संबंध में निर्देश लेने के लिए समय मांगा था। मामले को 19.12.2011 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। यह स्पष्ट किया गया था कि यदि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, फरीदाबाद द्वारा पारित दिनांक 13.12.2010 के आदेश के संदर्भ में उपरोक्त अंतरिम भरण-पोषण का भुगतान नहीं किया गया था, तो प्रतिवादी पत्नी द्वारा यह दलील दी गई कि इस अपील को खारिज किया जाना है, स्थगित तारीख पर विचार किया जाएगा। 19.12.2011 को अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने और समय मांगा

अनुदेश कि क्या प्रतिवादी को अंतरिम रखरखाव के भुगतान के संबंध में आदेश का पालन किया गया था या नहीं। उक्त उद्देश्य के लिए मामला 02.02.2012 तक स्थगित कर दिया गया था। 02.02.2012 को रखरखाव का भुगतान करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया था क्योंकि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता अपनी पत्नी और नाबालिग बेटी के लिए प्रदान नहीं कर रहा था। मामले को 09.02.2012 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिनांक 09.02.2012 को इस न्यायालय द्वारा एक विस्तृत आदेश पारित किया गया था। यह अन्य बातों के साथ-साथ पीठ द्वारा देखा गया था जिसने आदेश पारित किया था कि यह प्रथम दृष्टया संतुष्ट था कि अपीलकर्ता अदालत की अवमानना का दोषी हो सकता है। हालांकि, किसी भी कार्यवाही को शुरू करने से पहले बेंच ने अपीलकर्ता को अवमानना को शुद्ध करने के लिए एक सप्ताह का समय देने का इरादा किया। पीठ ने यह भी अपनी राय दर्ज की कि अपील में अंतरिम रखरखाव का अनुरोध या मूल्यांकन नहीं किया गया था क्योंकि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, फरीदाबाद द्वारा पहले ही रखरखाव का आकलन किया जा चुका था। इसके बाद मामले को 21.02.2012 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 21.02.2012 को, अपीलकर्ता ने दिनांक 09.02.2012 के आदेश के जवाब में कोई जवाब या हलफनामा दायर नहीं किया था। अपीलकर्ता के विद्वान वकील के अनुरोध पर, मामला 14.03.2012 तक स्थगित कर दिया गया, जिस तारीख को इसे 23.03.2012 और फिर 02.05.2012 तक स्थगित कर दिया गया। अंतिम तारीख को इसे बहस के लिए 29.05.2012 तक और फिर 23.07.2012 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिनांक 23.07.2012 को विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरजीत सिंह, अधिवक्ता जो अपीलार्थी की ओर से अपील कर रहे थे, उपस्थित नहीं हुए। उन्हें अदालत द्वारा बुलाया गया था और उन्होंने प्रस्तुत किया कि उनके मुवक्किल ने उनसे ब्रीफ लिया था। हालांकि, यह स्वीकार किया गया कि उन्हें अदालत द्वारा बरी नहीं किया गया था। मामले को प्रभावी ढंग से तय करने के लिए, यह देखा गया कि यह उचित और समीचीन होगा कि वह न्यायालय की सहायता करे। विद्वान वरिष्ठ वकील ने विनम्रतापूर्वक न्यायालय की सहायता करने के लिए सहमति व्यक्त की। उन्होंने समय के लिए प्रार्थना की। उनके अनुरोध पर मामले को 30.07.2011 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। उक्त तारीख को, प्रतिवादी के वकील श्री मनीष जैन ने प्रस्तुत किया कि चूंकि अपीलकर्ता ने इस न्यायालय द्वारा 06.05.2011, 11.07.2011, 26.07.2011, 29.11.2011 और 09.02.2012 को पारित आदेशों का अनुपालन नहीं किया था, इसलिए इस अपील को खारिज किया जा सकता है और अपीलकर्ता के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। मामले को 14.08.2012 तक के लिए स्थगित कर दिया गया और उक्त तारीख के लिए ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड की मांग की गई। इस मामले की सुनवाई 05102012 और तत्पश्चात 06102012 को हुई। इस मामले की विस्तार से सुनवाई 06102012 को हुई। प्रतिवादी की ओर से पेश वकील श्री मनीष जैन ने प्रस्तुत किया था कि यह मामला रखरखाव का भुगतान न करने के लिए खारिज करने योग्य है।

(नौ) श्री सुरजीत सिंह, सुश्री इशरीत कौर, एडवोकेट के साथ पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ

अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता द्वारा 2011 की विविध संख्या एम-24964 को विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फरीदाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.08.2011 के खिलाफ दायर किया गया था, जिसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही में रखरखाव के भुगतान का आदेश दिया गया था। हालांकि कोई रोक नहीं दी गई थी, लेकिन स्थगन आदेश के लिए एक आवेदन लंबित था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि भरण-पोषण के भुगतान के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 से महिलाओं के संरक्षण के तहत एक अन्य कार्यवाही में पारित एक आदेश को वर्तमान अपील में निष्पादित नहीं किया जा सकता है जो घोषणा के लिए एक मुकदमा है।

(दस) श्री मनीष जैन, वादी प्रतिवादी के वकील ने प्रस्तुत किया कि इस न्यायालय ने 09.02.2012 को अपनी राय दर्ज की थी कि अपील में अंतरिम रखरखाव के लिए प्रार्थना या मूल्यांकन नहीं किया गया था क्योंकि रखरखाव का मूल्यांकन पहले ही न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा किया जा चुका था, जो यह प्रस्तुत किया गया है कि घरेलू हिंसा अधिनियम से महिलाओं के संरक्षण के तहत कार्यवाही चल रही है। 2005.

(ग्यारह) विचार-विमर्श के बाद पक्षकारों के विद्वान वकील और अपीलकर्ता के लिए श्री दिलराज सिंह सेखों जीपीए के बीच यह सहमति हुई कि मुख्य अपील के साथ-साथ भरण-पोषण का भुगतान न करने का प्रभाव और नाबालिग बच्चे सीरत की कस्टडी का दावा करने वाली संबंधित अपील (एफएओएनओ.6208 ऑफ 2011) को एक साथ सुना जाए। तदनुसार, मुख्य अपील के साथ-साथ भरण-पोषण राशि का भुगतान न करने के प्रभाव और संबंधित अपील को लिया जाता है और उसकी सुनवाई की गई है।

(बारह)जहां तक मुख्य अपील का संबंध है, अपीलकर्ता के वकील सुश्री इशरीत कौर के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरजीत सिंह ने तर्क दिया है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने गलत तरीके से माना कि वादी-प्रतिवादी ने खुद को संयुक्त राज्य अमेरिका में कुक कंट्री, लिनिओस के सर्किट कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया था। वास्तव में उसने उक्त न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। कुक काउंटी, इलिनोइस के सर्किट कोर्ट के दिनांक 23.05.2005 के निर्णय, कुक काउंटी, इलिनोइस के सर्किट कोर्ट के क्लर्क डोरोथी ब्राउन द्वारा 07.04.2005 को जारी नोटिस के पत्र का संदर्भ दिया गया है जो प्रेस में एक प्रकाशन है और एक पत्र दिनांक 13.05.2005 जिसमें श्री मनदीप सिंह सचदेवा द्वारा प्रतिवादी की ओर से उपस्थिति दर्ज की गई है, जालंधर में एडवोकेट और मल्होत्रा एंड मल्होत्रा एसोसिएट्स इंटरनेशनल वकीलों द्वारा 19.04.2005 को लिखे गए एक पत्र

चंडीगढ़ उपस्थिति के बारे में; इसके अलावा, प्रतिवादी द्वारा अपने वकील श्री मनदीप सिंह सचदेवा, जालंधर के वकील के माध्यम से कुक काउंटी, इलिनोइस के सर्किट कोर्ट के सुश्री डोरोथी ब्राउन क्लर्क को लिखित आवेदन (Bx. P5) और एक अन्य पत्र दिनांक 05.09.2005 (Ex.P6) श्री मनदीप सिंह सचदेवा द्वारा जालंधर में एडवोकेट सुश्री डोरोथी ब्राउन, कुक काउंटी के सर्किट कोर्ट के क्लर्क

को लिखा गया था, इलिनोइस। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार उक्त दस्तावेज स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि प्रतिवादी ने कुक काउंटी, इलिनियोस के सर्किट कोर्ट के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि भले ही कुछ दस्तावेज प्रदर्शित नहीं किए गए हैं, हालांकि, परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 14 और 16 के प्रावधानों के मद्देनजर साक्ष्य अधिनियम के सख्त नियम लागू नहीं हैं और इसे साक्ष्य में पढ़ा जा सकता है। यह तर्क दिया जाता है कि दायर किया गया मुकदमा फैमिली कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं था। कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 7 का संदर्भ दिया गया है। यह तर्क दिया जाता है कि विशिष्ट राहत के लिए एक मुकदमा परिवार न्यायालय अधिनियम के तहत कवर नहीं किया जाएगा। अंत में यह तर्क दिया जाता है कि एक विदेशी निर्णय किसी भी मामले के रूप में निर्णायक है जिससे धारा के मद्देनजर पार्टियों के बीच निर्णय लिया जाता है! 3 सी.पी.सी. इसलिए, कुक काउंटी, इलिनोइस के सर्किट कोर्ट द्वारा पारित डिक्री (Ex.P7) वैध है।

(तेरह) अपीलकर्ता के लिए श्री दिलराज सिंह सेखों जीपीए ने जोरदार तर्क दिया है कि कुक काउंटी, इलिनोइस का सर्किट कोर्ट तलाक की डिक्री देने वाला एकमात्र सक्षम न्यायालय था क्योंकि प्रतिवादी-अपीलकर्ता भारत में अधिवास नहीं था और इसलिए, तलाक अधिनियम की धारा 2 के मद्देनजर, तलाक के अनुदान के लिए उसके द्वारा दायर एक मुकदमा भारत में बनाए रखने योग्य नहीं होगा। डॉ. डेविड चक्रवर्ती अरुमैनायगम और एक अन्य बनाम गीता चक्रवर्ती (सुप्रा) के मामले का एक स्पष्ट संदर्भ दिया गया है; इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत भरण-पोषण के भुगतान का आदेश देने के लिए आवेदन सुनवाई योग्य नहीं था और विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, फरीदाबाद द्वारा पारित दिनांक 13.12.2010 के आदेश और विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 08.08.2011 के आदेश के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक आपराधिक विविध आवेदन था। फरीदाबाद इस अदालत में लंबित है।

(चौदह) जवाब में श्री मनीष जैन, प्रतिवादी के वकील विद्वान ने प्रस्तुत किया है कि नीचे दिए गए विद्वान न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री पूरी तरह से कानूनी और वैध हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि वादी/प्रतिवादी ने कभी भी कुक काउंटी, इलिनोइस के सर्किट कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया। उसके खिलाफ वहां एक्स-पार्टे के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। पासपोर्ट की प्रति (Ex.P8) का संदर्भ यह तर्क देने के लिए किया गया है कि वह कभी यूएसए नहीं गई थी। इसलिए, उसके मामले का बचाव करने का कोई सवाल ही नहीं था; इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि सुश्री डोरोथी ब्राउन, कुक काउंटी, इलिनोइस के सर्किट कोर्ट के क्लर्क से प्राप्त नोटिस को वादी द्वारा Ex.P2 और Ex.P3 के रूप में रिकॉर्ड पर रखा गया है और यहां तक कि श्री मनदीप सिंह सचदेवा, जालंधर के वकील द्वारा भरा गया फॉर्म और आवेदन (Ex.P8) और श्री मंडपी सिंह सचदेवा के दिनांक 05.09.2009 (Ex.P5) के पत्र को भी रिकॉर्ड पर रखा गया है। जालंधर में वकील को वादी द्वारा यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर रखा गया है कि वह जवाब दाखिल करने के लिए

आवश्यक दस्तावेजों और प्रक्रिया की मांग कर रही थी, जिसका जवाब कुक काउंटी, इलिनोइस के सर्किट कोर्ट द्वारा नहीं दिया गया था। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि विवाह के मामलों में पक्ष सिख हैं और हिंदू कानून द्वारा शासित हैं, खासकर जब उनमें से एक अमेरिका का नागरिक नहीं है। किसी भी मामले में यह प्रस्तुत किया जाता है कि डिक्री धारा 13 सीपीसी के अपवादों के भीतर आती है क्योंकि यह सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत द्वारा नहीं सुनाया गया है और यह मामले के गुणों पर नहीं दिया गया है; इसके अलावा, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का विरोध करता है। इसलिए, यह धारा 13 सीपीसी के खंड (ए), (बी), (सी) और (डी) द्वारा परिकल्पित अपवादों के भीतर आता है। कुटुम्ब न्यायालय के समक्ष कार्यवाही वैध है और इसमें कोई दुर्बलता नहीं है। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि इस न्यायालय द्वारा आदेशित रखरखाव राशि का भुगतान करने में विफलता के लिए, अपील अकेले उस खाते पर खारिज कर दी जा सकती है।

(पंद्रह) सुनवाई के दौरान, प्रतिवादी के वकील श्री मनीष जैन द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि दिलराज सिंह सेखों, जिन्होंने अपील दायर की है, के पास अपील पेश करने के लिए वैध वकील नहीं है और उनके बेटे (अपीलकर्ता) द्वारा उनके पक्ष में दिया गया वकील उन्हें अपनी ओर से अपील दायर करने के लिए अधिकृत नहीं करता है।

(सोलह) हमने पक्षकारों के विद्वान वकीलों की दलीलों पर विचारशील विचार किया है और उनकी सहायता से अभिलेखों का अध्ययन किया है। प्राथमिक मुद्दा, जो इस मामले में शामिल है, वह यह है कि क्या कुक काउंटी, इलिनोइस के सर्किट कोर्ट द्वारा पारित दिनांक 23.05.2005 (Ex.P7) के निर्णय के कारण पक्षों के बीच विवाह भंग हो गया है या क्या उक्त निर्णय शून्य और शून्य है और अपीलकर्ता-हरप्रीत सिंह सेखों की पत्नी बने रहने के लिए वादी प्रतिवादी की वैवाहिक स्थिति को प्रभावित नहीं करता है। उक्त तर्क की सराहना करने के लिए, उक्त निर्णय (Ex.P7) जैसा कि न्यायालय में दायर किया गया है, को निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"व्यक्तिगत सेवा

या डिफ़ॉल्ट

कुक काउंटी इलिनोइस काउंटी विभाग के सर्किट कोर्ट में-

घरेलू

संबंध प्रभाग

की शादी में:	)	न्यायाधीश जीन आर।
हरप्रीत सिंह सेखों	)	क्लीवलैंड बर्नस्टीन
प्रार्थी	)	मई 23, 2005
और	)	सर्किट कोर्ट -1883

राजवंत कौर सेखों) 05 डी03518

प्रतिवादी) नं.डी

विवाह के विघटन के लिए निर्णय

(सत्रह) विवाह के विघटन के लिए सत्यापित याचिका पर साबित होने के लिए सुनवाई के लिए आने वाले इस कारण, याचिकाकर्ता का अभियोजन पक्ष में दिखाई देना, प्रतिवादी और प्रतिवादी पर व्यक्तिगत सेवा डिफ़ॉल्ट रूप से पाई गई है, या प्रतिवादी ने एक समर्थक उपस्थिति दर्ज की है और पक्ष समझौते में हैं, अदालत में दाढ़ी की गवाही है

पाता:

एक. प्रतिवादी अदालत में उपस्थित नहीं हुआ/नहीं हुआ।

दो. न्यायालय के पास पार्टियों और विषय वस्तु का अधिकार क्षेत्र है।

तीन. याचिकाकर्ता याचिका दायर करने की तारीख और इन निष्कर्षों से पहले 90 दिनों के लिए इलिनोइस राज्य का निवासी था।

चार.पार्टियों की शादी 2/9/2000 को जालंधर, पंजाब, भारत में हुई थी।

पाँच. याचिकाकर्ता ने साबित कर दिया है कि विवाह के विघटन के लिए आधार मौजूद हैं जैसा कि याचिका में आरोप लगाया गया है।

छः. निम्नलिखित बच्चे पैदा हुए।

नाम	जन्म तिथि
a. सीरत कौर सेखों	दिसम्बर 4, 2000

उत्तरदाता गर्भवती नहीं है।

सात. बच्ची सीरत कौर सेखों की कस्टडी सुरक्षित है।

आठ. याचिकाकर्ता की गवाही के आधार पर जिसे रिकॉर्ड और प्राप्त सबूतों के लिए ट्रांसक्राइब किया गया है।

एतद्द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि:

अ. पार्टियों ने विवाह के विघटन का निर्णय दिया और याचिकाकर्ता और प्रतिवादी आर्क के बीच मौजूद विवाह के बंधन को भंग कर दिया।

आ. पत्नी को अपने पूर्व नाम के उपयोग को फिर से शुरू करने के लिए छुट्टी दी जाती

है।

इ. यह अदालत स्पष्ट रूप से विवाह के विघटन के लिए इस फैसले की सभी शर्तों को लागू करने के उद्देश्य से इस मामले के अधिकार क्षेत्र को बरकरार रखती है।

नाम घुसना

पता एसडी

शहर, राज्य, ज़िप . न्यायाधीश

दूरभाष

(अठारह) डिक्री, जैसा कि रिकॉर्ड पर रखा गया है, से पता चलता है कि यह बिल्कुल अस्पष्ट है कि क्या प्रतिवादी डिफ़ॉल्ट रूप से पाया गया है या प्रतिवादी ने एक समर्थक उपस्थिति दर्ज की थी। इसके अलावा, यह रिकॉर्ड करता है कि पक्ष सहमत हैं और न्यायालय ने उपरोक्त पैरा 1 से 8 में उल्लिखित तथ्यों को स्थापित पाया था। पैरा 1 में उल्लेख किया गया है कि प्रतिवादी अदालत में उपस्थित नहीं हुआ/नहीं हुआ। इसलिए, यह स्पष्ट नहीं है कि कुक काउंटी, इलिनोइस के सर्किट कोर्ट के समक्ष प्रतिवादी, जो यहां वादी है- प्रतिवादी उपस्थित हुआ था या नहीं। वही यह भी रिकॉर्ड करता है कि पार्टियां समझौते में हैं। हालांकि, भले ही यह माना जाए कि वादी / प्रतिवादी यहां कुक काउंटी, इलिनियोस के न्यायालय में पेश हुआ था, यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि वह उस आदेश से सहमत थी जो विवाह को भंग करने के लिए पारित किया गया था। उक्त आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि बच्चे सीरत कौर सेखों की कस्टडी सुरक्षित है। यदि आदेश आरक्षित है, तो यह नहीं दिखाया गया है कि क्या कोई और आदेश पारित किया गया है या क्या वास्तव में इसका मतलब यह है कि इसे स्थगित कर दिया गया था, आदेश के बाईं ओर एक हस्तलिखित नोट है (Ex.P7) कि हिरासत के अन्य सभी मुद्दे, संपत्ति विभाजन आरक्षित हैं। उक्त नोट के नीचे कोई हस्ताक्षर नहीं है और यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह अदालत की कार्यवाही का हिस्सा है या बाद में जोड़ा गया है और यदि हां, तो किसके द्वारा। नाम, पता, शहर, राज्य, ज़िप और टेलीफोन के टीएचसी कॉलम खाली छोड़ दिए गए हैं। इसलिए, उक्त डिक्री इस तथ्य के संबंध में बिल्कुल अस्पष्ट है कि प्रतिवादी को उपस्थित माना जाता है या नहीं। सीपीसी की धारा 13 और 14 के प्रावधान जो विचार के लिए प्रासंगिक हैं, उन पर ध्यान दिया जा सकता है। वही नीचे के रूप में पढ़ें: -

"धारा 13: - डब्ल्यूएचसीएन विदेशी निर्णय निर्णायक नहीं है। एक विदेशी निर्णय किसी भी मामले के बारे में निर्णायक होगा, जिससे सीधे एक ही पार्टियों के बीच या पार्टियों के बीच न्यायनिर्णयन किया जाता है, जिनके तहत वे या उनमें से कोई एक ही शीर्षक के तहत मुकदमेबाजी का दावा करता है, सिवाय-

(अ) जहां यह न्यायालय द्वारा सक्षम क्षेत्राधिकार द्वारा घोषित नहीं किया गया है;

(आ) जहां यह मामले के गुण-दोष के आधार पर नहीं दिया गया है;

(इ) जहां कार्यवाही के चेहरे पर यह अंतरराष्ट्रीय कानून के गलत दृष्टिकोण पर स्थापित किया गया प्रतीत होता है या भारत के कानून को आसानी से मान्यता देने से इनकार करता है जिसमें ऐसा कानून लागू होता है;

(ई) जहां कार्यवाही जिसमें निर्णय प्राप्त किया गया था, प्राकृतिक न्याय के विपरीत है;

(इ) जहां यह धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया है;

(ऊ) जहां यह भारत में लागू किसी भी कानून के उल्लंघन पर स्थापित दावे को कायम रखता है।

कर्तन **14:-विदेशी निर्णयों के बारे में परिकल्पना।** _____ न्यायालय किसी विदेशी निर्णय की प्रमाणित प्रति होने के उद्देश्य से किसी भी दस्तावेज के उत्पादन पर, यह मान लेगा कि इस तरह का निर्णय सक्षम न्यायालय द्वारा सुनाया गया था, जब तक कि इसके विपरीत रिकॉर्ड पर प्रकट न हो; लेकिन इस तरह की धारणा को अधिकार क्षेत्र की कमी साबित करके विस्थापित किया जा सकता है "

(उन्नीस) उपर्युक्त के अवलोकन से पता चलता है कि एक विदेशी निर्णय किसी भी मामले के बारे में निर्णायक है, जिससे सीधे एक ही पक्ष के बीच या पार्टियों के बीच निर्णय लिया जाता है, जिनके तहत वे या उनमें से कोई भी एक ही शीर्षक के तहत मुकदमेबाजी का दावा करता है, सिवाय छह परिस्थितियों को छोड़कर जैसा कि खंड (ए) से (एफ) में बताया गया है; इसके अलावा, विदेशी निर्णयों के रूप में एक अनुमान है। इसलिए, यह पता लगाया जाना चाहिए कि क्या वर्तमान मामला सीपीसी की धारा 13 के अपवाद के भीतर आता है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि मामले की योग्यता को कुक काउंटी, लिलिनियोस के न्यायालय के निर्णय (Ex.P7) में विज्ञापित नहीं किया गया है और न ही पारित किए गए निर्णय के समर्थन में कोई कारण दिया गया है, जो वास्तव में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है और धारा 13 सीपीसी के खंड (बी) और (डी) द्वारा परिकल्पित अपवादों के भीतर आएगा। एक आदेश के समर्थन में कारणों की रिकॉर्डिंग प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का एक स्वीकृत पहलू है। एक आदेश में दर्ज किए गए कारण उन सामग्रियों के बीच की कड़ी को इंगित करते हैं जिन पर कुछ निष्कर्ष पर पहुंचा गया है और आधारित हैं। ये इस बात का खुलासा करते हैं कि निर्णय के लिए विषय वस्तु पर और प्रशंसनीय अन्याय के खिलाफ दिमाग कैसे लगाया गया है। कारण दिए जाने योग्य हैं ताकि विचार किए गए तथ्यों और निष्कर्ष पर पहुंचने के बीच एक तर्कसंगत संबंध प्रकट हो सके। ये उस पार्टी को संतुष्ट करते हैं जिसके खिलाफ आदेश दिया जाता है। यद्यपि यदि किसी आदेश के समर्थन में कारणों को दर्ज नहीं किया जाता है, तो यह हमेशा निर्णय को खराब नहीं करता है, हालांकि, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत कारणों की रिकॉर्डिंग को रोकते हैं। कुक काउंटी, इलिनोइस के सर्किट कोर्ट का निर्णय (Ex.P7) जैसा कि ऊपर पुन: प्रस्तुत किया गया है, वास्तव में मामले की खूबियों से निपटता नहीं है और अपने निर्णय के समर्थन

में कोई कारण दर्ज नहीं करता है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है। सीपीसी की धारा 13 के खंड (सी) के संदर्भ में, एक विदेशी निर्णय के अपवाद के निर्णायक होने के नाते, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान करता है कि उन मामलों में भारत के कानून को मान्यता देने से इनकार करना जिनमें ऐसा कानून लागू होता है; इसके अलावा, खंड (I) में यह प्रावधान है कि विदेशी निर्णय निर्णायक नहीं है जहां यह भारत में लागू किसी भी कानून के उल्लंघन पर स्थापित दावे को बनाए रखता है। विवाह के पक्षकार सिख हैं और विवाह और तलाक के मामले में हिंदू कानून द्वारा शासित हैं। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 उन पर लागू होता है। यह सवाल कि अपीलकर्ता संयुक्त राज्य अमेरिका में एक अधिवास है, महत्वहीन है क्योंकि पार्टियों का विवाह भारत में विवाह के आनंद कारज समारोह द्वारा किया गया था। आनंद कारज द्वारा विवाह आनंद विवाह अधिनियम, 1909 की धारा 2 के आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम के तहत विवाह का मान्यता प्राप्त रूप है, जिसमें यह परिकल्पना की गई है कि सभी विवाह जो आनंद नामक सिख विवाह समारोह के अनुसार विधिवत अनुष्ठापित हो सकते हैं या हो सकते हैं, और क्रमशः प्रत्येक के अनुष्ठापन की तारीख से प्रभावी माना जाएगा, कानून में अच्छा और वैध। इसलिए, तलाक के प्रयोजन के लिए, हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के उपबंध पक्षकारों पर लागू होते हैं, विशेष रूप से जब पत्नी भारत की निवासी रही हो और यह दर्शाया गया हो कि वह कभी यूएसए नहीं गई है। इसलिए, यह कहना मुश्किल है कि वह उस देश के कानून के अधीन है जहां वह कभी नहीं गई है या केवल इसलिए कि उसका पति वहां रह रहा है। जब विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार भारत में संपन्न किया गया था, तो पार्टियों पर लागू कानून उक्त अधिनियम द्वारा शासित होगा। इन परिस्थितियों में वादी का मामला सीपीसी की धारा 13 के परिकल्पित खंड (सी) और (एफ) के अपवादों के भीतर आता है। यह सवाल कि क्या वादी प्रतिवादी उक्त न्यायालय में उपस्थित हुआ था, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, निर्णय (Ex.P7) से काफी अस्पष्ट है।

(बीस) अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने वादी प्रतिवादी को जारी नोटिस (Ex.P2) के संबंध में दस्तावेजों का उल्लेख किया है। "वास्तव में यह प्रेस में किया गया एक प्रकाशन है जो 07.04.2005 को जारी किया गया था और हाउस नंबर 2382, सेक्टर -9, फरीदाबाद में वादी प्रतिवादी को संबोधित किया गया था। वादी/प्रतिवादी ने अपने साक्ष्य में अपना शपथ पत्र पूर्व पीडब्ल्यूएल/ए के रूप में प्रस्तुत किया। उसके द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रस्तुत किया गया है कि उसकी शादी प्रतिवादी अपीलकर्ता से 09.02.2000 को आनंद कारज द्वारा सिख रीति-रिवाजों के अनुसार हुई थी। यह आगे कहा गया है कि अप्रैल 2005 के मध्य में कहीं उसे अपने मकान नंबर 645, सेक्टर 16, फरीदाबाद के लेटर बॉक्स में एक लिफाफा मिला, जिसमें एक अखबार की कटिंग थी, जिसमें एक नोटिस (Ex.P2) प्रकाशित किया गया था कि प्रतिवादी ने कुक काउंटी के सर्किट कोर्ट में पार्टियों के बीच विवाह के विघटन के लिए एक याचिका दायर की थी, शिकागो, इलिनोइस यूएसए उसके खिलाफ और उसे उक्त याचिका पर अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने या अन्यथा कुक काउंटी, इलिनोइस, कमरा नंबर 802, रिचर्ड जे डेली सेंटर के सर्किट कोर्ट के क्लर्क के कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए बुलाया गया था, शिकागो शहर, इलिनोइस में 06.05.2005

को या उससे पहले अन्यथा डिफ़ॉल्ट उस दिन के बाद किसी भी समय उसके खिलाफ दर्ज किया जा सकता है और विवाह के विघटन के लिए एक निर्णय के अनुसार दर्ज किया जा सकता है उक्त याचिका की प्रार्थना। वादी द्वारा आगे यह कहा गया है कि उसने एक

कुक काउंटी के सकट कोर्ट के उपर्युक्त क्लर्क को दिनांक 19-04-2005 को पत्र लिखकर याचिका की प्रति के साथ उपर्युक्त मामले का ब्यौरा उसे देने और उसे यह सूचित करने के लिए कि उपर्युक्त न्यायालय के पास मामले की सुनवाई करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है क्योंकि वादी और प्रतिवादी का विवाह संयुक्त राज्य अमेरिका में कभी नहीं हुआ था और वह कभी भी यूएसए नहीं गई थी और यूएसए में अपने पति के साथ रही थी। उक्त पत्र के जवाब में, वादी को माननीय डोरोथी ए ब्राउन, कुक काउंटी, इलिनोइस, शिकागो यूएसए के सर्किट कोर्ट के क्लर्क से दिनांक 25.04.2005 (Ex.P3) के पत्र की एक फोटोकॉपी प्राप्त हुई, जिसके तहत उसे उपस्थिति फॉर्म को पूरा करने और जमा करने के लिए $ 143.00 का शुल्क जमा करना आवश्यक था। उक्त पत्र के साथ उपस्थिति प्रपत्र (Ex.P4) संलग्न किया गया था। प्रतिवादी (वादी) ने 29.04.2005 (Ex.P5) को कुक काउंटी, इलिनोइस के सर्किट कोर्ट के उपरोक्त क्लर्क को एक और पत्र लिखा, जिसमें याचिका की एक प्रति, टेलीफोन नंबर, ई-मेल पता और अदालत की वेबसाइट और अन्य सुविधाओं की मांग की गई ताकि वह उपरोक्त मामले को लड़ सके। हालांकि, उसने अपने पत्र में स्पष्ट रूप से कहा कि वह खुद को उक्त न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत नहीं कर रही है। प्रतिवादी (वादी) द्वारा अपने वकील श्री एमएस सचदेवा, अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 05.09.2005 (Ex.P6) को एक अन्य पत्र भी पूर्वोक्त न्यायालय को लिखा गया था, जिसमें सुनवाई की अगली तारीख का विवरण मांगा गया था। हालांकि, इसके बाद प्रतिवादी (वादी) को उपरोक्त न्यायालय से कोई जानकारी नहीं मिली। जुलाई, 2006 के अंत में उसे पुन एक सादा लिफाफा प्राप्त हुआ जिसमें दिनांक 23-05-2005 के विवाह विच्छेद के निर्णय की एक फोटोकॉपी थी। एकपक्षीय निर्णय (Ex.P7) के संदर्भ में, प्रतिवादी (वादी) और प्रतिवादी के बीच विवाह को भंग घोषित किया गया था। वादी के अनुसार, यह स्पष्ट था कि तलाक की डिक्री की प्रति प्रतिवादी द्वारा अपने पिता या किसी अन्य के माध्यम से प्रतिवादी (वादी) के घर पर लाई गई थी। उस समय तक पक्षकारों के बीच बहु-आयामी मुकदमेबाजी चल रही थी क्योंकि प्रतिवादी और उसके पिता प्रतिवादी (वादी) और उसके छोटे बच्चे को मकान नंबर 645, सेक्टर - 16, फरीदाबाद से बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जो उसका वैवाहिक घर था। गुजारा भत्ता देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत उनकी याचिका और आईपीसी की धारा 406 और 498-ए के तहत मामलों सहित कई अन्य मामले भी प्रक्रिया में थे।

(इक्कीस) इसलिए, यह ध्यान दिया जा सकता है कि वादी के अनुसार उसे अपने मकान नंबर 645, सेक्टर-16, फरीदाबाद में एक लिफाफा मिला, जिसमें एक अखबार की कटिंग थी, जिसमें एक नोटिस (Ex.P2) प्रकाशित किया गया था

कि प्रतिवादी ने कुक काउंटी, शिकागो, इलिनोइस के सर्किट कोर्ट में पार्टियों के बीच विवाह को भंग करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। प्रतिपरीक्षा में वादी द्वारा यह कहा गया है कि

वह मकान संख्या 2 3 82, एससीएआरटी-9, फरीदाबाद में नहीं रहती थी बल्कि मकान संख्या 645, सेक्टर-16, फरीदाबाद में रह रही थी। हालांकि, यह सही कहा गया है कि जब उनकी बेटी सीरत सेखों का जन्म हुआ था तो उन्होंने ब्लाउज नंबर 2382, एससीटीआर-9, फरीदाबाद का अपना पता दिखाया था। उसने स्वेच्छा से यह मान लिया था कि यह उसके माता-पिता का घर है और उस समय, उसका कोई भी ससुराल या उसका पति भारत में मौजूद नहीं था। उसने इस बात से इनकार किया कि प्रतिवादी ने उसे कभी भी मकान नंबर 645 सेक्टर -16, फरीदाबाद में शिफ्ट होने के लिए नहीं कहा। उसने इस बात से भी इनकार किया कि उक्त घर में उसका भाई और उसका परिवार रह रहा था। उसने इस बात से इनकार किया कि वह लुधियाना और इस्सेवाल में कभी नहीं रही। उसने इस बात से इनकार किया कि उसके ससुर ने यूएसए में किसी कोर्स में एडमिशन के साथ स्पॉन्सरशिप भेजी थी। उसने स्वेच्छा से कहा कि उसने उसे अपने दोस्त की बेटी के रूप में प्रायोजन भेजा था, न कि उसकी (बहू) ससुराल के रूप में और इसलिए, उक्त प्रायोजन पूरी तरह से अवैध था। उस समय स्वेच्छा से यह कहा गया है कि वह पांच महीने की गर्भवती थी। यह सही कहा गया है कि प्रतिवादी के बड़े भाई (वादी के 'जेठ') ने अपनी बेटी बेबी सीरत के लिए उपहार के रूप में 20,000 रुपये भेजे थे। उसने इस बात से इनकार किया कि उसे कभी कोई आव्रजन फॉर्म भेजा गया था या उसने उसे विधिवत भरा हुआ वापस नहीं भेजा था। उसने इस बात से इनकार किया कि उसने कभी भी अमेरिकी अदालत में कोई उपस्थिति पत्र और अपने ससुर को एक प्रति भेजी थी। यह उसके द्वारा स्वेच्छा से निर्धारित किया गया है कि उसके ससुराल वालों ने उसे अमेरिकी अदालत की एक अखबार की पर्ची/क्लिपिंग भेजी और फिर उसने अमेरिकी अदालत से उसे अदालत के मामले का विवरण और याचिका की प्रति भेजने के लिए कहा। उसे या उसकी मां को जुलाई, 2005 में एमक्रिकन कोर्ट के तलाक के फैसले वाला कोई पंजीकृत कवर कभी नहीं मिला। उसने स्वेच्छा से कहा कि उसे जुलाई, 2006 में तलाक के फैसले की एक प्रति मिली थी, जिसे किसी और ने लिफाफे में उसके घर के आंगन में फेंक दिया था। उसने केवल एक वकील श्री मल्होत्रा के साथ चर्चा की थी और उसे अमेरिका में मामले में पेश होने के लिए कभी नहीं लगाया था। उसने स्वेच्छा से कहा कि उसने श्री मनदीप सिंह सचदेव को अमेरिकी न्यायालय को एक पत्र जारी करने के लिए नियुक्त किया था जो एलएक्सपी -6 था। उसके पास दो नहीं बल्कि एक ही पासपोर्ट था।

(बाईस) वादी द्वारा सुश्री डोरोथी ब्राउन को एक पत्र Lx.P-5 लिखा गया था। कुक काउंटी, इलिनोइस के सर्किट कोर्ट के क्लर्क। यह मुख्य रूप से उन्हें याचिका की एक प्रति प्रदान करने के लिए था। वादी द्वारा अपने उक्त पत्र (Lx. P5) में अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया था कि उसे एक लिफाफा मिला था जिसमें एक लिफाफा था

कथित प्रकाशन की कटिंग। उक्त लिफाफे में सुश्री डोरोथी ब्राउन का नाम है, लेकिन पोस्टिंग या प्राप्त करने की मुहर नहीं है। यह संभव था कि उस पर कुछ शरारत की गई थी, इसलिए सत्यापन उद्देश्यों के लिए, सहायता के लिए आवेदन भेजा जा रहा था। वादी ने उसे माननीय न्यायालय के टेलीफोन नंबर, ई-मेल पता और वेबसाइट की आपूर्ति करने के लिए भी कहा, ताकि फॉर्म

डाउनलोड किए जा सकें; इसके अलावा, उसने इस आशय के प्रासंगिक कानून की आपूर्ति करने का अनुरोध किया कि वह याचिका को चुनौती देने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष कैसे उपस्थित हो सकती है और अपने देश में मुफ्त कानूनी सहायता सहायता का विवरण भी प्रदान कर सकती है क्योंकि उसकी कोई स्वतंत्र आय नहीं थी और वह पूरी तरह से अपने पिता की अल्प आय पर निर्भर थी क्योंकि उसे याचिकाकर्ता (प्रतिवादी) द्वारा कोई रखरखाव नहीं भेजा गया था। वादी द्वारा अपने पत्र (Ex.P-5) में उल्लिखित दावे उक्त न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत नहीं होने के उसके कानूनी अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना थे क्योंकि तलाक की याचिका को सबसे पहले और सबसे पहले अधिकार क्षेत्र के आधार पर चुनौती दी जानी थी। दिनांक 05.09.2005 (Ex.P6) का पत्र वादी के वकील मनदीप सिंह सचदेवा का है, जिसमें उन्हें और विवरण प्रदान करने का अनुरोध किया गया है कि मामले की स्थिति क्या थी और सुनवाई की अगली तारीख कौन सी थी।

(तेईस) प्रतिवादी/अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क कि फॉर्म को वादी की ओर से कुक काउंटी, इलिनोइस के सर्किट कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था, बहुत महत्व का नहीं है। उक्त फॉर्म रिकॉर्ड पर प्रदर्शित नहीं किए गए हैं और दस्तावेजों को साबित करने के तरीके के अनुसार साबित नहीं किए गए हैं। कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 14 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुप्रयोग से संबंधित है। इसमें यह उपबंध किया गया है कि कुटुम्ब न्यायालय साक्ष्य के रूप में कोई रिपोर्ट, कथन, दस्तावेज, सूचना या मामला प्राप्त कर सकता है, जो उसकी राय में, विवाद से प्रभावी ढंग से निपटने में उसकी सहायता कर सकता है, चाहे वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत अन्यथा प्रासंगिक या स्वीकार्य हो या नहीं। इसलिए, परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 14 के संदर्भ में, एक परिवार न्यायालय साक्ष्य प्राप्त कर सकता है और एक दस्तावेज को साबित करने के लिए साक्ष्य के सख्त नियम सख्ती से लागू नहीं होते हैं। हालाँकि, फिर भी उक्त दस्तावेज़ बहुत महत्व या प्रासंगिकता के नहीं हैं। जिन दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है, वे प्रदर्शित दस्तावेज नहीं हैं, लेकिन वास्तव में इन्हें चिह्नित भी नहीं किया गया है। दस्तावेजों में से एक अखबार की कटिंग है, दूसरा उपस्थिति में डालने का एक दस्तावेज है जिसमें केवल पक्षों के नाम का उल्लेख किया गया है और एडवोकेट श्री मनदीप सिंह सचदेवा द्वारा हस्ताक्षरित है

जालंधर और वादी द्वारा उसकी उपस्थिति में प्रवेश करने पर हस्ताक्षर किए गए हैं, लेकिन यह नहीं दिखाया गया है कि क्या वास्तव में दायर किया गया था या क्या इसे कुक काउंटी, इलिनोइस के सर्किट कोर्ट द्वारा दायर किया गया माना गया था। मल्होत्रा एंड मल्होत्रा एसोसिएट्स का दिनांक 19-04-2005 का पत्र मिनिस्टर काउंसेल अथवा काउंसलर अफेयर्स एंड काउंसलर जनरल को संबोधित किया गया है जो अमेरिकी दूतावास, शांति पथ, चाणक्यपुर, नई दिल्ली में जारी किया गया था जिसमें 21 अक्तूबर, 1998 को शिकागो में जारी किए A5692155 गए और 17 जून, 2007 तक वैध भारतीय पासपोर्ट संख्या वाले हरप्रीत सिंह सेखों (प्रतिवादी) के ब्यौरों की प्रविष्टि का उल्लेख किया गया है। यह कहा गया है कि पत्नी राजवंत कौर सेखों (वादी) इलिनोइस राज्य, कुक काउंटी में लंबित तलाक की कार्यवाही लड़ रही है और इस संबंध में समाचार पत्र के नोटिस की एक प्रति संलग्न की गई थी। हरप्रीत सिंह सेखों (प्रतिवादी) द्वारा शुरू की गई वैवाहिक कार्यवाही को राजवंत

कौर सेखों द्वारा चुनौती दी जा रही थी, इसलिए, हरप्रीत सिंह सेखों के संबंध में मामले का एक नोट बनाया जा सकता है क्योंकि वह पुनर्विवाह करने और एक अन्य असहाय भारतीय लड़की के लिए दूसरे जीवनसाथी का वीजा प्राप्त करने का प्रयास कर सकता है। यह देखा जा सकता है कि उक्त पत्र मुख्य रूप से प्रतिवादी-अपीलकर्ता को किसी अन्य व्यक्ति से फिर से शादी करने और एक अन्य असहाय लड़की के लिए दूसरे पति या पत्नी का वीजा प्राप्त करने से रोकने के लिए एक सूचना थी। पत्र अदालत को संबोधित नहीं किया गया था बल्कि नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास को संबोधित किया गया था। प्रतिवादी/अपीलकर्ता उक्त पत्र से जो लाभ प्राप्त करना चाहता है, वह यह है कि उसमें यह उल्लेख किया गया है कि वादी तलाक की कार्यवाही लड़ रहा था। यह अपने आप में काफी अहानिकर बयान है क्योंकि वास्तव में वह हमेशा याचिका की एक प्रति मांगकर याचिका का विरोध करने की इच्छा व्यक्त करती रही थी, उस मामले में कार्यवाही, उपस्थिति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और क्या मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध थी क्योंकि उसके पास मुकदमेबाजी के लिए खर्च वहन करने का कोई साधन नहीं था। इसलिए, मल्होत्रा और मल्होत्रा एसोसिएट्स का उक्त पत्र भी काफी महत्वहीन है। एक अन्य दस्तावेज जीवनी संबंधी जानकारी का है जिसमें विभिन्न कॉलम हैं। उक्त दस्तावेज पर वादी-प्रतिवादी के हस्ताक्षर हैं। कॉलम सभी खाली हैं। इसलिए उक्त दस्तावेज भी काफी महत्वहीन है।

(चौबीस) उपरोक्त परिस्थितियों से संकेत मिलता है कि वादी/प्रतिवादी ने कुक काउंटी के सर्किट कोर्ट में उपस्थिति नहीं रखी थी। इलिनोइस। दिनांक 23.05.2005 (Ex.P7) के फैसले में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है कि क्या उसने उपस्थिति दर्ज कराई थी। यह नहीं कहता है कि वह दिखने में थी या वह डिफ़ॉल्ट रूप से पाई गई थी। वास्तव में दोनों का उल्लेख किया गया है।

इलिनोइस के कुक काउंटी के सर्किट कोर्ट में जो दस्तावेज थे, वे यह नहीं दिखाते हैं कि उसने अपना जवाब दायर किया था। वास्तव में उन्हें याचिका की प्रति नहीं मिली थी, जिसकी वह मांग कर रही थीं। याचिका की प्रति के अभाव में वह एक प्रभावी प्रतियोगिता नहीं बना सकती थी। इसलिए, सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए, कुक काउंटी, इलिनोइस के सर्किट कोर्ट का निर्णय दिनांक 23.05.2005 (Ex.P7) एक पूर्व-पक्षीय निर्णय था/है; इसके अलावा, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने में विफल रहा।

(पच्चीस) ***इंटरनेशनल वूलन मिल*** बनाम ***स्टैंडर्ड वुड (यूके) लिमिटेड (2)*** में, यह माना गया था कि व्यापक प्रस्ताव कि प्रतिवादी की अनुपस्थिति में पारित कोई भी डिक्री, योग्यता पर एक डिक्री है क्योंकि यह वैसा ही होगा जैसे कि प्रतिवादी उपस्थित हुआ था और निर्णय का विरोध किया था, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उक्त मामले में प्रश्नगत निर्णय के संबंध में, यह देखा गया था कि इससे यह संकेत नहीं मिलता है कि क्या किसी दस्तावेज की जांच की गई थी और/या मामले के गुण-दोष पर विचार किया गया था। इसने केवल प्रतिवादी को उसमें उल्लिखित राशियों के लिए एक डिक्री दी। यह देखा गया कि उक्त मामले में अपीलकर्ता ने अपने पत्र दिनांक 8.11.1997 द्वारा, प्रतिवादी के दिनांक 18.10.1997 के नोटिस का उत्तर दिया। उक्त उत्तर में यह उल्लेख किया गया था कि माल घटिया गुणवत्ता का था और संविदा के अनुसार नहीं था। यह माना गया कि न्यायालय ने इस पहलू पर अपना दिमाग नहीं लगाया था या इस पहलू से निपटा नहीं था। इसने पार्टियों के बीच विवाद के बिंदुओं की जांच नहीं की थी। अदालत ने एकपक्षीय आदेश दिया था क्योंकि अपीलकर्ता वाद की सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ था। यह गुण-दोष के आधार पर दिया गया फैसला नहीं था और इस तरह की व्यवस्था भारत में लागू नहीं की जा सकती। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 चित्रण (ई) के संबंध में, यह देखा गया कि यह केवल एक धारणा को जन्म देता है कि न्यायिक कार्य नियमित रूप से किए गए हैं। हालांकि, यह कहना कि एक डिक्री नियमित रूप से पारित की गई थी, यह कहने से पूरी तरह से अलग है कि डिक्री योग्यता के आधार पर पारित की गई थी। गुणावगुण पर विचार किए बिना पारित एकपक्षीय डिक्री नियमित रूप से पारित डिक्री हो सकती है यदि उस न्यायालय के नियमों द्वारा अनुमत हो। ऐसा डिक्री उस देश में मान्य होगा जिसमें इसे पारित किया जाता है जब तक कि अपील की अदालत द्वारा अलग नहीं किया जाता है। हालांकि, भले ही यह उस देश में एक वैध और प्रवर्तनीय डिक्री हो, लेकिन यह भारत में लागू करने योग्य नहीं होगा यदि इसे योग्यता के आधार पर पारित नहीं किया गया है। इसलिए, इस प्रश्न पर निर्णय के लिए कि क्या कोई डिक्री गुण-दोष के आधार पर पारित की गई है या नहीं, साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अंतर्गत अनुमान से कोई लाभ नहीं होगा। भले ही यह माना जाए कि सभी

---

(2) (2001)5 एससीसी 265

औपचारिकताओं का अनुपालन किया गया था और डिक्री नियमित रूप से पारित की गई थी, यह अभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा कि इसे योग्यता के आधार पर पारित किया गया था। इसलिए, इंटरनेशनल वूलन मिल बनाम स्टैंडर्ड वुड (यूके) लिमिटेड (सुप्रा) में उक्त निर्णय का अनुपात वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू होता है, क्योंकि आक्षेपित निर्णय (Ex.P7) मामले के गुणों पर नहीं है, यह स्पष्ट नहीं है कि प्रतिवादी ने उपस्थिति दर्ज कराई थी या नहीं; इसके अलावा, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

(छब्बीस)एक अन्य पहलू जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि क्या विदेशी न्यायालय द्वारा पारित किया जा रहा निर्णय (Ex.P7) उन मामलों के संबंध में मान्य है जहां विवाह के संबंध में पक्ष हिंदू कानून और हिंदू विवाह अधिनियम द्वारा शासित होते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **के *नरसिम्हा राव और अन्य*** बनाम वाई के मामले में **यह निर्णय दिया था।** वेंकट **लक्ष्मी और एक अन्य** (3) ने माना कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत किए गए विवाह केवल उक्त अधिनियम के तहत ही भंग किए जा सकते हैं। उक्त मामले के पक्षकारों का विवाह 27.02.1975 को तिरुपति में हुआ था.वे जुलाई, 1978 में अलग हो गए.उसमें प्रथम अपीलकर्ता ने सेंट लुइस काउंटी, मिसौरी, यूएसए के सर्किट कोर्ट में विवाह के विघटन के लिए याचिका दायर की. पहले प्रतिवादी ने विरोध के तहत यहां से अपना जवाब भेजा। सकट न्यायालय ने पहले प्रतिवादी की अनुपस्थिति में 19.02.1980 को विवाह के विघटन के लिए एक डिक्री पारित की। सेंट लुइस काउंटी, मिसौरी, यूएसए के सर्किट कोर्ट द्वारा पारित मैम एज के विघटन की डिक्री से संबंधित कुछ तथ्य यह थे कि न्यायालय ने इस मामले पर इस आधार पर अधिकार क्षेत्र ग्रहण किया कि पहला अपीलकर्ता कार्रवाई शुरू होने और उस न्यायालय में याचिका के शुरू होने से पहले 90 दिनों के लिए मिसौरी राज्य का निवासी था। दूसरे, डिक्री को एकमात्र आधार पर पारित किया गया था कि इस बात की कोई उचित संभावना नहीं थी कि पक्षों के बीच विवाह को संरक्षित किया जा सकता है और इसलिए विवाह असुधार्य रूप से टूट गया है। तीसरा, पहले प्रतिवादी ने न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत नहीं किया था। रिकॉर्ड से यह प्रतीत होता है कि याचिका में, प्रतिवादी ने उसी तारीख के दो जवाब दायर किए थे। दोनों प्रकृति में समान थे, सिवाय इसके कि उत्तरों में से एक अतिरिक्त कथन के साथ शुरू हुआ: "इस विवाद के पूर्वाग्रह के बिना कि यह प्रतिवादी इस माननीय अदालत के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत नहीं कर रहा है, यह प्रतिवादी निम्नानुसार प्रस्तुत करता है"। उसने अन्य बातों के अलावा, जवाबों में यह भी कहा था कि (i) याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी, (ii) वह थी

इस बात से अवगत नहीं था कि क्या पहला अपीलकर्ता मिसौरी राज्य में 90 दिनों से अधिक समय से रह रहा था और वह अदालत के समक्ष याचिका दायर करने का हकदार था, (iii) पक्ष हिंदू थे

(3) (1991) 3 एससीसी 451

और हिंदू कानून द्वारा शासित थे, (iv) वह एक भारतीय नागरिक थी और मिसौरी राज्य में लागू कानूनों द्वारा शासित नहीं थी और इसलिए, न्यायालय के पास याचिका पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, (v) पक्षों के बीच विवाह का विघटन हिंदू विवाह अधिनियम द्वारा शासित था और इसे उक्त अधिनियम के तहत प्रदान किए गए को छोड़कर किसी अन्य तरीके से भंग नहीं किया जा सकता था, (vi) न्यायालय के पास विदेशी कानूनों को लागू करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था और याचिका में दिए गए आधारों में से कोई भी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत तलाक देने के लिए पर्याप्त नहीं था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत केवल जिला न्यायालय जिसकी मूल सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर विवाह हुआ था, या (ii) याचिका प्रस्तुत करते समय प्रतिवादी रहता है, या (iii) विवाह के पक्षकार अंतिम बार एक साथ रहते थे, या (iv) याचिकाकर्ता याचिका की प्रस्तुति के समय रह रहा है, ऐसे मामले में जहां प्रतिवादी उस समय उन क्षेत्रों के बाहर रह रहा है, जहां अधिनियम का विस्तार है, या उन व्यक्तियों द्वारा सात साल से अधिक की अवधि के लिए जीवित रहने के बारे में नहीं सुना गया है, जिन्होंने स्वाभाविक रूप से उसके बारे में सुना होगा यदि वह जीवित था, याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है। इसलिए, सेंट लुइस कंट्री, मिसौरी के सर्किट कोर्ट के पास अधिनियम के अनुसार याचिका पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था, जिसके तहत पार्टियों का विवाह हुआ था। दूसरे, विवाह का असुधार्य टूटना विवाह के विघटन के लिए अधिनियम द्वारा मान्यता प्राप्त आधारों में से एक नहीं है। इसलिए, विदेशी अदालत द्वारा पारित तलाक की डिक्री हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अनुपलब्ध आधार पर थी। धारा 13 सीपीसी का संदर्भ दिया गया था, जिसमें कहा गया है कि एक विदेशी निर्णय किसी भी मामले के रूप में निर्णायक नहीं है, जिससे पार्टियों के बीच सीधे निर्णय लिया जाता है यदि (ए) यह सक्षम न्यायालय की अदालत द्वारा सुनाया नहीं गया है; (ख) यह मामले के गुण-दोष के आधार पर नहीं दिया गया है; (ग) यह अंतरराष्ट्रीय कानून के गलत दृष्टिकोण या उन मामलों में भारत के कानून को मान्यता देने से इनकार करने पर स्थापित किया गया है जिनमें ऐसा कानून लागू होता है; (d) कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के विरोध में है, (e) यह धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया है, (f) यह भारत में लागू किसी भी कानून के उल्लंघन पर स्थापित दावे को बनाए रखता है। उक्त मामले में डिक्री, विदेशी अदालत द्वारा पारित विवाह को भंग करना, हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार अधिकार क्षेत्र के बिना था क्योंकि न तो विवाह मनाया गया था और न ही पक्ष अंतिम बार एक साथ रहते थे और न ही प्रतिवादी उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रहता था। डिक्री को एक आधार पर पारित करने के लिए भी आयोजित किया गया था जो था

हिंदू विवाह अधिनियम के तहत उपलब्ध नहीं है जो विवाह के लिए लागू था। इसके अलावा, यह डिक्री 1 अपीलकर्ता द्वारा यह कहते हुए प्राप्त की गई थी कि वह मिसौरी राज्य का निवासी था जब रिकॉर्ड से पता चला कि वह केवल एक पक्षी मार्ग था और आमतौर पर लुइसियाना राज्य का निवासी था। वह, यदि बिल्कुल भी, केवल तकनीकी रूप से तलाक प्राप्त करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ नब्बे दिनों के निवास की आवश्यकता को पूरा करता था। वह न तो उस राज्य में अधिवासित थे और न ही उनका इरादा इसे अपना घर बनाने का था। मंच से उनका कोई ठोस संबंध भी नहीं था। प्रथम अपीलकर्ता ने रिकॉर्ड पर कोई नियम नहीं लाया था जिसके तहत सेंट लुइस कोर्ट इस मामले पर अधिकार क्षेत्र ग्रहण कर सकता था। इसके विपरीत, उसने अपनी याचिका में एक झूठा कथन दिया था कि पहले प्रतिवादी ने मिसौरी राज्य में उसके साथ रहना जारी रखने से इनकार कर दिया था जहां वह कभी नहीं गई थी। उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के नियमों की अनुपस्थिति में, उनके लॉर्डशिप द्वारा यह देखा गया था कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि क्या मिसौरी राज्य के भीतर पहले प्रतिवादी का निवास उस अदालत को अधिकार क्षेत्र प्रदान करने के लिए आवश्यक था, और यदि नहीं, तो उक्त कथन करने के कारणों के बारे में। सीपीसी की धारा 13 के खंड (ए) के संबंध में यह माना गया था कि उक्त खंड की व्याख्या इस अर्थ में की जानी चाहिए कि केवल वही न्यायालय सक्षम क्षेत्राधिकार का न्यायालय होगा, जिसके लिए हिंदू विवाह अधिनियम या कानून जिसके तहत पार्टियों को वैवाहिक विवाद पर विचार करने के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत के रूप में मान्यता दी गई थी। किसी भी अन्य न्यायालय को अधिकार क्षेत्र के बिना एक अदालत माना जाना चाहिए जब तक कि दोनों पक्ष स्वेच्छा से और बिना शर्त खुद को उस अदालत के अधिकार क्षेत्र के अधीन न करें। साक्ष्य अधिनियम की धारा 41 में अभिव्यक्ति 'सक्षम न्यायालय' का भी इसी तरह अर्थ लगाया जाना था। आगे यह देखा गया कि सीपीसी की धारा 13 के खंड (बी) में कहा गया है कि यदि मामले के गुण-दोष के आधार पर कोई विदेशी निर्णय नहीं दिया गया है, तो इस देश की अदालतें इस तरह के फैसले को मान्यता नहीं देंगी। यह खंड, यह आयोजित किया गया था, इसका अर्थ निकाला जाना चाहिए (ए) कि विदेशी अदालत का निर्णय कानून के तहत उपलब्ध आधार पर होना चाहिए जिसके तहत पार्टियां विवाहित हैं, और (बी) निर्णय पार्टियों के बीच प्रतियोगिता का परिणाम होना चाहिए। बाद की आवश्यकता, यह आयोजित की गई थी, केवल तभी पूरी होती है जब प्रतिवादी को विधिवत सेवा दी जाती है और स्वेच्छा से और बिना शर्त खुद को अदालत के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत करता है और दावे का विरोध करता है, या उपस्थिति के साथ या बिना डिक्री पारित करने के लिए सहमत होता है। विरोध के तहत और अदालत के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत किए बिना, या व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से अदालत में उपस्थिति के बिना दावे का जवाब दाखिल करना

न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति करने के लिए, मामले के गुण-दोष पर निर्णय के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। इस संबंध में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के लिए अधिग्रहण के सामान्य नियम

जो अन्य मामलों और क्षेत्रों में मान्य हो सकते हैं, को अनदेखा किया जाना चाहिए और अनुचित समझा जाना चाहिए। आगे यह कहा गया कि सीपीसी की धारा 13 के खंड (सी) में कहा गया है कि जहां एक निर्णय उन मामलों में इस देश के कानून को मान्यता देने से इनकार करने पर स्थापित किया जाता है, जिनमें ऐसा कानून लागू होता है, निर्णय को इस देश की अदालतों द्वारा मान्यता नहीं दी जाएगी। यह देखा गया कि इस देश में होने वाली शादियां इस देश में लागू प्रथागत या वैधानिक कानून के तहत ही हो सकती हैं। इसलिए, एकमात्र कानून जो वैवाहिक विवादों पर लागू हो सकता है, वह वह है जिसके तहत पार्टियां विवाहित हैं, और कोई अन्य कानून नहीं है। इसलिए, जब कोई विदेशी निर्णय किसी क्षेत्राधिकार पर या ऐसे कानून द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं आधार पर स्थापित किया जाता है, तो यह एक ऐसा निर्णय है जो कानून का अनिश्चित है। इसलिए, यह उसमें न्यायनिर्णयित मामलों का निर्णायक नहीं है और इसलिए, इस देश में अप्रवर्तनीय है। इसी कारण से, ऐसा निर्णय धारा 13 के खंड (1) के तहत भी अप्रवर्तनीय होगा, क्योंकि ऐसा निर्णय स्पष्ट रूप से इस देश में लागू वैवाहिक कानून का उल्लंघन होगा। सीपीसी की धारा 13 का खंड (डी) जो एक विदेशी निर्णय को इस आधार पर अप्रवर्तनीय बनाता है कि जिन कार्यवाही में इसे प्राप्त किया जाता है वे प्राकृतिक न्याय के विरोध में हैं, यह देखा गया था, एक प्राथमिक सिद्धांत से अधिक कुछ नहीं बताता है जिस पर न्याय की कोई भी सभ्य प्रणाली टिकी हुई है। हालांकि, वैवाहिक विवादों जैसे पारिवारिक कानून से संबंधित मामलों में, इस सिद्धांत को प्रक्रिया के तकनीकी नियमों के अनुपालन से अधिक कुछ मतलब दिया जाना चाहिए। यदि ऑडी अल्टरम पार्टेम के नियम का विदेशी अदालत में कार्यवाही के संदर्भ में कोई अर्थ है, तो नियम के प्रयोजनों के लिए यह पर्याप्त नहीं माना जाना चाहिए कि प्रतिवादी को अदालत की प्रक्रिया के साथ विधिवत सेवा दी गई है। यह पता लगाना आवश्यक है कि क्या प्रतिवादी स्वयं को प्रस्तुत करने या स्वयं का प्रतिनिधित्व करने और उक्त कार्यवाही को प्रभावी ढंग से लड़ने की स्थिति में था। यह आवश्यकता अपीलीय कार्यवाही के लिए समान रूप से लागू होनी चाहिए यदि और जब वे किसी भी पक्ष द्वारा दायर किए जाते हैं। यदि विदेशी अदालत ने याचिकाकर्ता को यात्रा, निवास और मुकदमेबाजी की लागत सहित बचाव के लिए सभी आवश्यक प्रावधान करने की आवश्यकता के द्वारा इस तरह के प्रभावी प्रतियोगिता का पता नहीं लगाया है और सुनिश्चित किया है, तो यह माना जाना चाहिए कि कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। यह इस कारण से है कि उनके लॉर्डशिप ने पाया कि कुछ देशों के निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम जोर देते हैं, यहां तक कि वाणिज्यिक मामलों में भी, कि कार्रवाई होनी चाहिए फोरम में दायर किया जाए जहां प्रतिवादी या तो अधिवासित है या आदतन निवासी है। यह केवल विशेष मामलों में है जिसे विशेष क्षेत्राधिकार कहा जाता है जहां दावे का अन्य मंच के साथ कुछ वास्तविक संबंध है कि ऐसे मंच के निर्णय को मान्यता दी जाती है। इस क्षेत्राधिकार सिद्धांत को यूरोपीय समुदाय के निर्णय सम्मेलन द्वारा भी मान्यता प्राप्त है। यह है। इसलिए, इस देश में अदालतें भी नियम के एक मामले के रूप में जोर देती हैं कि एक विदेशी वैवाहिक निर्णय को केवल तभी

मान्यता दी जाएगी जब यह उस मंच का है जहां प्रतिवादी अधिवासित है या आदतन और स्थायी रूप से रहता है, धारा 13 सीपीसी के खंड (डी) के प्रावधानों को संतुष्ट किया जा सकता है। सीपीसी की धारा 13 के खंड (ई) का प्रावधान जिसके लिए आवश्यक है कि इस देश की अदालतें किसी विदेशी निर्णय को मान्यता नहीं देंगी यदि वह धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया हो, यह देखा गया था, यह स्वयं स्पष्ट है। यह माना गया कि उक्त नियम को इस देश में विदेशी वैवाहिक निर्णय को मान्यता देने के लिए निकाला जा सकता है। विदेशी अदालत द्वारा ग्रहण किया गया अधिकार क्षेत्र और साथ ही जिन आधारों पर राहत दी जाती है, वे वैवाहिक कानून के अनुसार होने चाहिए जिसके तहत पार्टियों का विवाह होता है। इस नियम के अपवाद निम्नानुसार हो सकते हैं: (i) जहां वैवाहिक कार्रवाई उस मंच में दायर की जाती है जहां प्रतिवादी अधिवासित है या आदतन और स्थायी रूप से रहता है और वैवाहिक कानून में उपलब्ध आधार पर राहत दी जाती है जिसके तहत पार्टियों का विवाह होता है; (ii) जहां प्रतिवादी स्वेच्छा से और प्रभावी रूप से मंच के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत करता है जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है और उस दावे का विरोध करता है जो वैवाहिक कानून के तहत उपलब्ध आधार पर आधारित है जिसके तहत पार्टियों का विवाह होता है; (iii) जहां प्रतिवादी राहत देने के लिए सहमति देता है, हालांकि मंच का अधिकार क्षेत्र पार्टियों के वैवाहिक कानून के प्रावधानों के अनुसार नहीं है।

(सत्ताईस) वर्तमान मामला कुक काउंटी, इलिनोइस के सर्किट कोर्ट (यानी वादी) के समक्ष प्रतिवादी के रूप में उपरोक्त अपवादों में से किसी में नहीं आता है। उसमें अधिवासित नहीं है और न ही आदतन और स्थायी रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में रहता है। वास्तव में वादी ने अपना पासपोर्ट रिकॉर्ड में रखा है, जिसके संदर्भ में वह कभी यूएसए नहीं गई है। कुक काउंटी, इलिनोइस के सर्किट कोर्ट द्वारा दी गई राहत इस देश में वैवाहिक कानून यानी हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत उपलब्ध नहीं है, जिसके तहत पार्टियों का नाम लिया गया है। 'विवाह के विघटन का दावा वैवाहिक कानून यानी हिंदू विवाह अधिनियम के तहत उपलब्ध नहीं है, जिसके द्वारा पार्टियों को शासित किया जाता है। पक्ष सिख हैं और उन्होंने उसी के अनुसार शादी की थी आनंद कारज के साथ और हिंदू विवाह अधिनियम द्वारा शासित हैं। कुक काउंटी, इलिनोइस के सर्किट कोर्ट के समक्ष प्रतिवादी ने कभी भी स्वेच्छा से या प्रभावी रूप से उक्त फोरम के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत नहीं किया और दावे का विरोध नहीं किया क्योंकि उसे याचिका की प्रति कभी नहीं दी गई थी। कुक काउंटी के सर्किट कोर्ट के समक्ष प्रतिवादी, मैं कभी भी राहत देने के लिए सहमति नहीं देता था। इसलिए, कुक काउंटी के सर्किट कोर्ट का डिक्री (Ex.P7) एक डिक्री नहीं है जिसे पार्टियों के बीच वैध कहा जा सकता है। वाई. नरसिम्हा राव और अन्य बनाम वाई. वेंकट लक्ष्मी और अन्य (सुप्रा) में निर्णय के अनुपात के संदर्भ में, डिक्री (Ex.P7) को वैध नहीं कहा जा सकता है। जहां तक पाटयों के अधिकारों का संबंध है, दल भारतीय हैं। विवाह भारत में संपन्न हुआ था और वे हिंदू

विवाह अधिनियम द्वारा शासित हैं। वाई नरसिम्हा राव और अन्य बनाम वाई वेंकट लक्ष्मी और अन्य (सुप्रा) में निर्णय से कानून अच्छी तरह से तय है और कुक काउंटी के सर्किट कोर्ट के डिक्री (Ex.P7) को कानून के पूर्वोक्त उच्चारण के मद्देनजर किसी भी आधार पर वैध नहीं कहा जा सकता है।

(अठाईस) ***जलमीता सिंह*** बनाम ***रजत तनेजा (4) में,*** यह माना गया था कि पार्टियां संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत कम समय के लिए एक साथ रहती थीं। पत्नी लगभग पूरी जिंदगी भारत में रही थी और वर्तमान में भारत में रह रही थी। आरोपी (पति) भारतीय मूल का था और उसके माता-पिता और परिवार के सदस्य भारतीय नागरिक थे और भारत के निवासी थे। उक्त मामले में प्रतिवादी पर आरोप लगाया गया था कि उसका भारत में अचल संपत्तियों में पर्याप्त हित है। यह माना गया था कि उक्त घटना में अमेरिका में एक डिक्री द्वारा भंग विवाह, निजी अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के अनुरूप, जो धारा 13 सीपीसी में सन्निहित हैं, अन्य बातों के साथ, उक्त डिक्री की पुष्टि इस देश में एक अदालत द्वारा की जानी चाहिए, इसके अलावा, यदि प्रतिवादी (पति) को उस देश में दिए गए तलाक की डिक्री के बल पर संयुक्त राज्य अमेरिका में पुनर्विवाह करना था, जब तक भारत में इस फरमान को मान्यता नहीं मिल जाती, तब तक वह द्विविवाह का आपराधिक अपराध करता और खुद को द्विविवाह के लिए दंडित होने के लिए कमजोर बना देता। आगे यह देखा गया कि वादी (पत्नी) ने संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत नहीं किया था। पति और पत्नी के रूप में एक साथ रहने के संदर्भ में, संयुक्त राज्य अमेरिका में वादी के प्रवास को क्षणिक, अस्थायी और आकस्मिक के रूप में देखा जा सकता है। जीवनसाथी वीजा प्राप्त नहीं होने के कारण वह हो सकती है

(4) 2003 (2) आरसीआर (सिविल) 197 (दिल्ली)

यूएसए में प्रवेश करने की स्थिति में भी नहीं हो। अदालत ने कहा, 'प्रतिवादी (पति) को अमेरिका में कार्यवाही जारी रखने से रोक दिया गया।

(उन्तीस) पूर्वोक्त प्रस्तावों से, यह काफी स्पष्ट है कि वैवाहिक मामलों के संबंध में भारत में वैध होने के लिए एक विदेशी न्यायालय द्वारा तलाक की डिक्री के लिए, इसे पारित किया जाना चाहिए (ए) वैवाहिक राहत के अनुदान के लिए लागू कानून के अनुसार जिसके द्वारा पार्टियों को शासित किया जाता है; (ख) केवल वह न्यायालय सक्षम अधिकारिता का न्यायालय होगा जिसके द्वारा पक्षकार विवाह के मामलों में शासित होते हैं या वह विधि जिसके अधीन पक्षकार विवाहित होते हैं, वैवाहिक विवाद पर विचार करने के लिए सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के रूप में मान्यता देता है। कोई भी अन्य न्यायालय क्षेत्राधिकार के बिना एक न्यायालय होगा जब तक कि दोनों पक्ष स्वेच्छा से और बिना शर्त खुद को उस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत नहीं करते हैं; (ग) विदेशी न्यायालय का निर्णय पक्षकारों के बीच वाद के अनुसार होना चाहिए, जिसकी आवश्यकता केवल तभी पूरी होगी जब विदेशी न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी की विधिवत तामील की जाती है और वह स्वेच्छा से और बिना शर्त स्वयं को न्यायालय की अधिकारिता में प्रस्तुत करता है और दावे का विरोध करता है या उपस्थित होने के साथ या उसके बिना डिक्री पारित करने के लिए सहमत होता है। विरोध के तहत दावे का जवाब दाखिल करना और अदालत के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत किए बिना, या न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति करने के लिए व्यक्तिगत रूप से या प्रतिनिधि के माध्यम से न्यायालय में उपस्थिति को मामले के गुणों पर निर्णय के रूप में नहीं माना जाना चाहिए; (घ) विदेशी वैवाहिक निर्णय को केवल तभी मान्यता दी जानी है जब वह उस मंच का हो जहां प्रतिवादी अधिवासित है या आदतन और स्थायी रूप से रहता है; (ग) यह सुनिश्चित किया जाना है कि विदेशी न्यायालय ने वैवाहिक राहत की मांग करने वाली याचिका के लिए एक प्रभावी प्रतियोगिता सुनिश्चित की थी, जिसमें याचिकाकर्ता को प्रतिवादी के लिए यात्रा, निवास और मुकदमेबाजी की लागत सहित बचाव के लिए आवश्यक प्रावधान करने की आवश्यकता थी, जहां आवश्यक हो और यदि नहीं माना जाता है कि प्रावधान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं।

(तीस) विद्वान वरिष्ठ वकील का यह तर्क कि परिवार न्यायालय का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, योग्यता से रहित है। अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि वादी द्वारा विद्वान सिविल जज (सीनियर डिवीजन), फरीदाबाद के न्यायालय में डिक्री (च x.P7) को शून्य घोषित करने के लिए वाद दायर किया गया था। अपर सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ मंडल), फरीदाबाद ने दिनांक 17-04-2008 को कार्यालय रिपोर्ट के अवलोकन पर वाद को पंजीकृत करने का आदेश दिया

और प्रतिवादी को मुद्दों के निपटारे के लिए बुलाया गया। कार्यवाही कुछ समय के लिए विद्वान अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ डिवीजन), फरीदाबाद द्वारा आयोजित की गई थी। फिर 01.04.2009 को इसे सिविल जज (जूनियर डिवीजन), फरीदाबाद के कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया

गया। इस मामले में मुद्दे सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ मंडल), फरीदाबाद द्वारा दिनांक 13-05-2009 को तैयार किए गए थे। मुद्दों को तैयार करने के समय विद्वान ट्रायल जज ने न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर दलीलें सुनीं। यह पाया गया कि यह मुकदमा इस घोषणा के लिए था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुक काउंटी के सर्किट कोर्ट द्वारा पारित दिनांक 23.05.2005 के एकपक्षीय निर्णय को शून्य घोषित किया जाए। प्रतिवादी के विद्वान वकील ने इस आधार पर वाद का विरोध किया कि चूंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायालय द्वारा एकपक्षीय निषेधाज्ञा प्रदान की गई थी, इसलिए सकट न्यायालय के एकपक्षीय आदेश को रद्द करने की अपील/वाद केवल यूएसए में दायर किया जाना चाहिए। विद्वान सिविल जज (जूनियर डिवीजन) ने वाई नरसिम्हा राव बनाम वेंटका लक्ष्मी (सुप्रा) के मामले का उल्लेख किया, जिसमें यह माना गया है कि भारत में हिंदू संस्कारों के अनुसार शादी करने वाले पक्ष, तलाक के लिए याचिका अमेरिकी अदालत में दायर की गई थी, जहां पार्टियां कभी नहीं रहती थीं। "इसलिए, सीपीसी की धारा 13 और 9 के तहत, प्रथम दृष्टया न्यायालय के पास वर्तमान मुकदमे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र था। तत्पश्चात् दिनांक 27-05-2009 को कुटुंब न्यायालय में इसकी स्थापना पर यह प्राप्त हुआ और जिला न्यायाधीश (कुटुम्ब न्यायालय), फरीदाबाद के समक्ष कार्यवाहियां संचालित की गईं। 04-11-2009 को मुद्दों को पुन तैयार किया गया था। इसलिए, यह मामले की स्थापना पर जिला न्यायाधीश (कुटुंब न्यायालय), फरीदाबाद के न्यायालय में स्थानांतरित करने का मामला है। कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम की धारा 7 कुटुम्ब न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है और यह निम्नानुसार हैः-

"क्षेत्राधिकार.-

(एक) इस अधिनियम के अन्य प्रावधान के अधीन, एक कुटुम्ब न्यायालय-

(क) स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट प्रकृति के मुकदमों और कार्यवाहियों के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी जिला न्यायालय या किसी अधीनस्थ सिविल न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य सभी अधिकारिता होगी और उसका प्रयोग करेगा; और (ख) ऐसी विधि के अधीन ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने के प्रयोजनों के लिए, जिला न्यायालय या, यथास्थिति, उस क्षेत्र के लिए ऐसा अधीनस्थ सिविल न्यायालय माना जाएगा, जिस पर कुटुम्ब न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार है।

स्पष्टीकरण - इस उपधारा में निर्दिष्ट वाद और कार्यवाहियां निम्नलिखित प्रकृति के वाद और कार्यवाहियां हैं, अर्थात:- -

(अ) विवाह की शून्यता की डिक्री के लिए विवाह के पक्षकारों के बीच एक मुकदमा या कार्यवाही (विवाह को शून्य और शून्य घोषित करना या, जैसा भी मामला हो, विवाह को रद्द करना) या वैवाहिक अधिकारों की बहाली या न्यायिक पृथक्करण या विवाह का विघटन;

(आ) विवाह की वैधता के रूप में या किसी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति के रूप में घोषणा के लिए एक मुकदमा या कार्यवाही;

(इ) पक्षकारों या उनमें से किसी एक की संपत्ति के संबंध में विवाह के पक्षकारों के बीच एक मुकदमा या कार्यवाही;

(ई) वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न परिस्थितियों में आदेश या निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमा या कार्यवाही;

(इ) किसी भी व्यक्ति की वैधता के रूप में घोषणा के लिए एक मुकदमा या कार्यवाही;

(ऊ) रखरखाव के लिए एक सूट या कार्यवाही;

(ऋ) व्यक्ति की संरक्षकता या किसी नाबालिग की अभिरक्षा, या उस तक पहुंच के संबंध में एक मुकदमा या कार्यवाही।

(2) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, कुटुम्ब न्यायालय भी निम्नलिखित का प्रयोग करेगा और -

(अ) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अध्याय IX (पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के आदेश से संबंधित) के तहत प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता ; और

(आ) ऐसा अन्य क्षेत्राधिकार जो किसी अन्य अधिनियमन द्वारा उस पर प्रदान किया जा सकता है।

(31) धारा 7 (1) (ए) के संदर्भ में, एक परिवार न्यायालय को किसी भी जिला अदालत या किसी अधीनस्थ सिविल अदालत द्वारा किसी भी कानून के तहत किसी भी कानून के तहत प्रयोज्य सभी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना है और स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट प्रकृति की कार्यवाही और इसे माना जाना है, ऐसे कानून के तहत इस तरह के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के उद्देश्य से। तक

एक जिला न्यायालय हो या, जैसा भी मामला हो, उस क्षेत्र के लिए ऐसा अधीनस्थ सिविल न्यायालय हो जिस पर परिवार न्यायालय का अधिकार क्षेत्र विस्तारित होता है। इसलिए, धारा 7 परिवार न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की शक्तियां प्रदान करती है जिसके द्वारा किसी भी जिला न्यायालय या किसी अधीनस्थ सिविल न्यायालय ने किसी भी कानून के तहत किसी भी कानून के तहत मुकदमों और स्पष्टीकरण चाप में निर्दिष्ट प्रकृति की कार्यवाही के संबंध में उल्लेख किया है। स्पष्टीकरण का खंड (बी) विवाह की वैधता या किसी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति के रूप में किसी भी घोषणा के लिए सूट और कार्यवाही से संबंधित है। घोषणा के लिए एक मुकदमा जब किसी भी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति पर बादल छा जाता है, तो विवाह या वैवाहिक स्थिति की वैधता के रूप में घोषणा की मांग करने वाला मुकदमा स्थापित किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, कुक काउंटी, इलिनोइस के सर्किट कोर्ट के डिक्री के मद्देनजर, वादी-प्रतिवादी की वैवाहिक स्थिति प्रभावित हुई क्योंकि उसे प्रतिवादी-अपीलकर्ता की पत्नी के रूप में नहीं माना जाना था। इसलिए, उसकी वैवाहिक स्थिति स्थापित करने के लिए मुकदमा स्पष्ट रूप से बनाए रखने योग्य था। एक घोषणात्मक डिक्री केवल एक डिक्री-धारक के अधिकारों और ऐसी घोषणा की मांग करने वाले व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति की घोषणा करती है। इसलिए, फैमिली कोर्ट न्यायिक तरीके से विवादों का फैसला करता है और वैवाहिक स्थिति सहित पार्टियों के अधिकारों की घोषणा करता है। धारा 7 के निबंधनों में कुटुंब न्यायालय एक जिला न्यायालय या अधीनस्थ सिविल न्यायालय है जिस पर सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंध उसकी धारा 10 के निबंधनों के अनुसार लागू किए गए हैं। विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 34 किसी भी व्यक्ति को किसी भी कानूनी चरित्र के लिए, या किसी भी संपत्ति के रूप में किसी भी अधिकार के लिए, इनकार करने या इनकार करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा संस्थापित करने का अधिकार देती है, ऐसे चरित्र या अधिकार के लिए उसका शीर्षक, और न्यायालय अपने विवेक से उसमें एक घोषणा कर सकता है कि वह इतना हकदार है और वादी को ऐसे मुकदमे में किसी और राहत की मांग करने की आवश्यकता नहीं है। उक्त प्रावधान किसी व्यक्ति को उन लोगों के खिलाफ एक उपाय देता है जो अपने कानूनी चरित्र के रूप में प्रतिकूल हित या किसी संपत्ति के रूप में किसी भी अधिकार का दावा करते हैं। उद्देश्य उस बादल को हटाना है जो वादी के कानूनी चरित्र पर उसके अधिकारों पर डाला जा सकता है। वैवाहिक दर्जे की मांग करने वाली घोषणा को इस उद्देश्य के लिए घोषणा की मांग करने वाले मुकदमे में शामिल किया जाएगा। कुक काउंटी, इलिनोइस, यूएसए के सर्किट कोर्ट के आक्षेपित निर्णय के आधार पर वादी के वैवाहिक स्थिति के अधिकारों पर बादलों को डाला गया था, वह उक्त निर्णय को शून्य घोषित करने की मांग करने के लिए एक मुकदमा दायर करने की हकदार थी और यह सम्मान के साथ एक मुकदमा होगा

उसकी वैवाहिक स्थिति के लिए जो फैमिली कोर्ट की धारा 7 के स्पष्टीकरण के खंड (बी) के मद्देनजर फैमिली कोर्ट की क्षमता के भीतर होगी।

(बत्तीस) ***केए अब्दुल जलील*** बनाम ***टीए शाहिदा (5)*** में, यह माना गया था कि परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 7 के स्पष्टीकरण (सी) में अभिव्यक्ति "विवाह और पारिवारिक मामलों से संबंधित विवाद और उससे जुड़े मामलों के लिए" को एक व्यापक निर्माण दिया जाना चाहिए। यह देखा गया था कि उद्देश्यों और कारणों के विवरण से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि परिवार न्यायालय का अधिकार क्षेत्र, अन्य बातों के साथ-साथ, पति-पत्नी या उनमें से किसी की संपत्तियों के संबंध में विस्तारित होता है, जिसका स्पष्ट रूप से अर्थ होगा कि पार्टियों द्वारा दूसरे के पति या पत्नी के रूप में दावा किया गया है, इस दावे के बावजूद कि संपत्ति का दावा विवाह के निर्वाह के दौरान किया गया है या अन्यथा। आगे यह माना गया कि यह अच्छी तरह से तय है कि विशेष रूप से कुछ प्रकार के विवादों के समाधान के लिए बनाए गए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को उदारतापूर्वक समझा जाना चाहिए। प्रतिबंधित अर्थ यदि धारा 7 स्पष्टीकरण (सी) की सदस्यता लेता है तो परिवार न्यायालय अधिनियम उस उद्देश्य को विफल कर देगा जिसके लिए परिवार न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसलिए, पारिवारिक न्यायालयों के पास किसी पार्टी की स्थिति निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र है, जो दूसरे का जीवनसाथी है। कुक काउंटी, लिनियोस के सर्किट कोर्ट द्वारा पारित दिनांक 23.05.2005 (पूर्व पी -7) के डिक्री के पारित होने के साथ वादी-प्रतिवादी के वैवाहिक स्थिति के बारे में उसके अधिकारों पर बादल डाले गए थे। इसलिए, उसे विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 34 के संदर्भ में अपनी स्थिति की घोषणा करने का अधिकार था। घोषणा का प्रभाव वादी/प्रतिवादी की वैवाहिक स्थिति को प्रतिवादी-अपीलकर्ता की विवाहित पत्नी का है। इसका प्रभाव यह होगा कि वादी उस स्थिति और विशेषाधिकारों का हकदार हो जाता है जो उसके पास कुक काउंटी, इलिनियोस के सर्किट कोर्ट के डिक्री के बावजूद प्रतिवादी की पत्नी होने के नाते है। इस तरह की डिक्री वादी को आवश्यक राहत का दावा करने का अधिकार देती है, जिसके लिए वह प्रतिवादी की पत्नी के रूप में अपनी वैवाहिक स्थिति के कारण हकदार है। उक्त प्रयोजन के लिए, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम के अधीन स्थापित कुटुम्ब न्यायालय को वाद पर विचार करने और विचारण करने का क्षेत्राधिकार होगा। इसलिए, अपीलकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील के इस संबंध में तर्क बिना किसी आधार के है।

(पाँच) (2003) 4 एससीसी 166

(तैंतीस) अपीलकर्ता के पिता और जनरल अटॉर्नी दिलराज सिंह सेखों द्वारा उठाया गया अन्य तर्क यह है कि फरीदाबाद की अदालत का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था और दोनों पक्षों ने जालंधर में शादी की थी और आखिरी बार मोहाली में रहते थे। वे फरीदाबाद में कभी नहीं रहे थे। इस संबंध में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि वादी ने दलील दी है कि वह फरीदाबाद में रह रही थी; इसके अलावा, प्रतिवादी की संपत्ति यानी मकान नंबर 645 सेक्टर -16, फरीदाबाद फरीदाबाद में स्थित है। दोनों पक्ष अंतिम बार मकान संख्या 645 सेक्टर -16, फरीदाबाद में रहते थे और मुकदमा

दायर करने की कार्रवाई का कारण फरीदाबाद में अदालत के अधिकार क्षेत्र के भीतर फरीदाबाद में भी जमा हुआ था। 04.11.2009 को मुद्दा संख्या 2 को इस आशय के लिए तैयार किया गया था कि क्या परिवार न्यायालय के पास कथित रूप से मुकदमे की सुनवाई करने के लिए कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं था। इस मुद्दे का दायित्व प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी के दीई इराज सिंह सेखों जीपीए ने अपना हलफनामा (एक्स.डीडब्ल्यू-1/ए) दायर किया। उक्त हलफनामे (Ex.DW-1/A) में फरीदाबाद में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है, भले ही इस मुद्दे का दायित्व प्रतिवादी पर था। इसके विरुद्ध वादी ने अपने शपथ पत्र (Ex.PW-1/A) में कहा है कि अप्रैल 2005 के मध्य में उसे अपने मकान संख्या 645, सेक्टर-16, फरीदाबाद के लेटर बॉक्स में एक लिफाफा मिला जिसमें एक अखबार की कटिंग थी जिसमें एक नोटिस प्रकाशित किया गया था कि प्रतिवादी ने कुक काउंटी के सर्किट कोर्ट में उनके बीच विवाह के विघटन के लिए याचिका दायर की थी, शिकागो, इलिनिओस यूएसए ने उसके खिलाफ और उसे उक्त याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए बुलाया गया था। इसलिए, यह वादी का विशिष्ट कथन है कि फरीदाबाद में उसके लेटर बॉक्स के एक लिफाफे में उसकी उपस्थिति के लिए एक नोटिस पाया गया था। इसलिए, कार्रवाई का कारण फरीदाबाद में सिविल कोर्ट के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर वादी को प्राप्त हुआ था। प्रतिवादी द्वारा अपने वकील और पिता दिलराज सिंह सेखों के माध्यम से दायर लिखित बयान में आपत्ति यह है कि दोनों पक्ष फरीदाबाद में एक साथ कभी नहीं रहे और उनकी शादी जालंधर में हुई थी। यह हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत विवाह के विघटन की मांग करने वाला मामला नहीं है, जहां याचिका उस स्थान पर दायर की जानी है जहां विवाह संपन्न हुआ था या जहां पक्ष अंतिम बार एक साथ रहते थे। किसी भी मामले में, 2003 के अधिनियम संख्या 50 द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम में किए गए संशोधन के मद्देनजर, खंड (iii-A) को धारा 19 में जोड़ा गया है, जो याचिकाकर्ता पत्नी को स्थानीय सीमा के भीतर जिला न्यायालय में पेश करने का अधिकार देता है जिसकी सामान्य मूल की स्थानीय सीमा के भीतर
अधिकार क्षेत्र वह याचिका की प्रस्तुति की तारीख पर रह रही है। इसलिए, प्रतिवादी का यह तर्क कि फरीदाबाद के न्यायालय के पास याचिका पर विचार करने और निर्णय लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, योग्यता से रहित है।

(चौंतीस) श्री दिलराज सिंह सेखों जीपीए धारक द्वारा उठाया गया एक और विवाद यह है कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 28 के तहत अपील दायर करने की सीमाएं डिक्री की तारीख से 30 दिन हैं। जिस बात पर बहस करने की मांग की गई है वह यह है कि कुक काउंटी, इलिनोइस के सर्किट कोर्ट द्वारा पारित दिनांक 23.05.2005 (Lx. P-7) की डिक्री पर डिक्री की तारीख के 30 दिनों के बाद हमला किया गया है। हालांकि, यह देखा जा सकता है कि वर्तमान मामला घोषणा के लिए एक वाद से संबंधित है जिसे वादी द्वारा 17.04.2008 को दायर किया गया था। यह अपील नहीं है। विद्वान अपर सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग), फरीदाबाद ने दिनांक 17-04-2008 को इस

आशय का आदेश पारित किया कि वाद याचिका पेटी से निकाला गया है। रीडर को उक्त दिन कार्यालय रिपोर्ट के बाद ही प्रस्तुत करना होगा। रीडर ने 17-04-2008 को बताया कि न्यायालय शुल्क सही था। तत्पश्चात् उसी दिन विद्वान अपर सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग), फरीदाबाद ने इस आशय का आदेश पारित किया कि कार्यालय की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया है। मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया था और प्रतिवादी को प्रक्रिया शुल्क दाखिल करने पर मुद्दों के निपटारे के लिए बुलाया गया था। 12.05.2008 के लिए वाद और पंजीकृत एडी कवर की प्रति का आदेश दिया गया था। यह वाद विद्वान विशिष्ट न्यायाधीश (कुटुम्ब न्यायालय), फरीदाबाद द्वारा दिनांक 27-05-2009 को प्राप्त किया गया था। जिला न्यायाधीश (कुटुंब न्यायालय) के आक्षेपित निर्णय और डिक्री में उल्लिखित वाद के संस्थित होने की तारीख 25-05-2009 है, जो वास्तव में आसानी के हस्तांतरण की तारीख है। अन्यथा, वाद प्रारंभ में 17-04-2008 को दायर किया गया था। विद्वान जिला न्यायाधीश (फैमिली कोर्ट), फरीदाबाद ने मुद्दा संख्या 2 का फैसला करते हुए कहा कि घोषणा की मांग करने वाला मुकदमा आक्षेपित डिक्री के तीन साल के भीतर दायर किया गया था और इसलिए, यह समय वर्जित नहीं था। उक्त निष्कर्ष सही है और कानून के अनुसार है। वास्तव में उक्त निष्कर्ष मुद्दा संख्या 3 पर होना था जैसा कि विद्वान जिला न्यायाधीश (परिवार न्यायालय), फरीदाबाद द्वारा 04.11.2009 को पुनर्गठित किया गया था। फिर भी। यह केवल एक तकनीकी चूक है। घोषणा के लिए एक मुकदमा परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 113 द्वारा शासित होता है जो एक अवशिष्ट लेख है। उसमें यह परिकल्पना की गई है कि कोई भी वाद जिसके लिए अनुसूची में अन्यत्र परिसीमा की कोई अवधि प्रदान नहीं की गई है, सीमा तीन वर्ष है जब वाद दायर करने का अधिकार अर्जित होता है जो कि कृत्यों और परिस्थितियों में तब होगा जब प्रतिवादी की पत्नी के रूप में वादी की स्थिति से इनकार किया जाता है।

(पैंतीस) एक और आपत्ति जिसे अपीलकर्ता के लिए श्री दिलराज सिंह सेखों जीपीए द्वारा गंभीरता से दबाया गया है, वह यह है कि प्रतिवादी भारत में अधिवास नहीं है, इसलिए, वह भारत में वैवाहिक राहत का दावा करने के लिए मुकदमा दायर नहीं कर सका। उक्त विवाद तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 2 के आधार पर आग्रह किया गया है। ***डा डेविड £ हकरवर्ती अरुतनैनायगम और अन्य*** बनाम ***गीता चक्रवर्ती आर्मेनायगम और अन्य (6)*** के मामले में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के एक निर्णय पर जोरदार विश्वास किया गया है। वास्तव में उक्त तर्क बिल्कुल गलत है क्योंकि पार्टियां तलाक अधिनियम, 1869 द्वारा शासित नहीं हैं। पार्टियां स्वीकार्य रूप से सिख हैं और विवाह के मामलों में हिंदू कानून द्वारा शासित हैं। यहां तक कि सुनवाई के दौरान, अपीलकर्ता के लिए श्री दिलराज सिंह सेखों जीपीए ने स्वीकार किया कि पक्ष सिख धर्म को मानते हैं। तलाक अधिनियम, 1869 की धारा 2 अधिनियम की सीमा से संबंधित है और आम तौर पर राहत देने की शक्ति की सीमा के संबंध में, यह प्रदान किया गया है कि इसके बाद निहित कुछ भी किसी भी न्यायालय को उक्त अधिनियम के तहत कोई राहत देने के लिए अधिकृत नहीं करेगा, सिवाय इसके कि याचिकाकर्ता या प्रतिवादी ईसाई धर्म को मानता है। दोनों में से कोई भी पक्ष ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए, उक्त तर्क बिल्कुल असमर्थनीय और गलत है। तलाक अधिनियम, 1869 के प्रावधान वर्तमान आसानी से दूर से भी लागू नहीं होते हैं।

(छतीस) वादी-प्रतिवादी के विद्वान वकील ने यह भी आपत्ति उठाई है कि अपीलकर्ता के लिए श्री दिलराज सिंह सेखों जीपीए, जो अपने पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी होने का दावा करते हैं, उनके पास अपने बेटे हरप्रीत सिंह सेखों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वैध पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है, जो प्रतिवादी हैं। 2011 के संबंधित एफएओ संख्या 6208 में, इस संबंध में एक विशिष्ट मुद्दा था और आज सुनाए गए आदेश में, यह माना गया है कि पावर ऑफ अटॉर्नी जिसके आधार पर दिलराज सिंह सेखों अपने बेटे की ओर से मुकदमा कर रहे हैं, उन्हें आवश्यक शक्ति नहीं देता है। इसलिए, वास्तव में हरप्रीत सिंह सेखों द्वारा 22.02.2006 को दिलराज सिंह सेखों के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी उसे अपनी ओर से मुकदमा चलाने की कोई शक्ति प्रदान नहीं करती है।

(सैंतीस) वादी के विद्वान वकील द्वारा उठाया गया एक और विवाद यह है कि प्रतिवादी-अपीलकर्ता रखरखाव राशि का भुगतान करने में विफल रहा है और अपील इस खाते पर खारिज करने योग्य है। आम तौर पर (6) 2002 (1) विवाह कानून जर्नल 354

जहां रखरखाव राशि का भुगतान नहीं किया गया है, न्यायालय चूककर्ता पक्ष की रक्षा को बंद करने और खारिज करने के लिए बाध्य है या' जैसा भी मामला हो, अपील की अनुमति दें। हालांकि, रखरखाव है कि वर्तमान मामले में प्रदान की गई है के संरक्षण के तहत कार्यवाही में है
घरेलू हिंसा से महिलाएं अधिनियम, 2005। आपराधिक विविध |
द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध उक्त कार्यवाही के विरुद्ध आवेदन |
विद्वान ट्रायल मजिस्ट्रेट और विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फरीदाबाद इस न्यायालय में लंबित है और इस मामले में अभी भी अंतिम रूप से विचार किया जाना है। इसलिए, तथ्यों और परिस्थितियों में, हम इच्छुक नहीं हैं
1
केवल भरण-पोषण का भुगतान न करने के कारण अपील को खारिज करना। हालांकि, यह वादी को उक्त कार्यवाही में निष्पादन या अन्य के माध्यम से कानून के अनुसार अपने उचित अधिकारों का दावा करने से नहीं रोकेगा]
उचित उपचार के रूप में उसे उपलब्ध हो सकता है। 'प्रतिवादी अपीलकर्ता 1
वास्तव में रखरखाव के भुगतान का सम्मान किया जाना चाहिए था जैसा कि आदेश दिया गया था '
यह न्यायालय विभिन्न तिथियों पर। हालांकि, अपीलकर्ता के लिए दिलराज सिंह सेखों जीपीए राशि का भुगतान करने में अनिच्छुक रहा है और उसने तर्क दिया है कि यह आपराधिक विविध आवेदन का विषय है, जो 1
(क) क्या यह सच है कि इस न्यायालय में लंबित है। चूंकि हम गुण-दोष के आधार पर अपील खारिज कर रहे हैं, इसलिए हम

मैं
मामले के इस पहलू में जाने की आवश्यकता नहीं है। j

(अड़तीस) यह भी अभिलिखित किया जाए कि श्री सुरजीत सिंह, वरिष्ठ
मामले में अधिवक्ता पेश हो रहे थे। तथापि, दिनांक 23072012 को वह उपस्थित नहीं हुए। उन्हें अदालत द्वारा बुलाया गया था और उन्होंने प्रस्तुत किया कि उनके मुवक्किल ने उनसे ब्रीफ लिया था। हालांकि, यह स्वीकार किया गया कि उन्हें अदालत द्वारा बरी नहीं किया गया था। मामले को प्रभावी ढंग से तय करने के लिए, उन्होंने1
न्यायालय की सहायता करने के लिए कहा गया था जिसके लिए वह शालीनता से सहमत हो गया। इसलिए '
यह न्यायालय के अनुरोध पर है कि श्री सुरजीत सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता इस मामले में उपस्थित हुए थे। हालांकि उन्होंने कहा था कि उन्हें वापस लेने की अनुमति दी जा सकती है और अपील पर दिलराज सिंह सेखों द्वारा बहस

I

करने की अनुमति दी जाए
अपीलकर्ता के लिए जीपीए।

(उन्तालीस) उपरोक्त के मद्देनजर, हमें अपील में कोई योग्यता नहीं मिलती है और तदनुसार इसे खारिज कर दिया जाता है।

जे। ***जैनी***

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

आदित्य सैनी
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
रेवाडी (**हरियाणा)**